हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(2014-2015)

बारहवीं विधान सभा

लोक निर्माण विभाग

समिति के 253वें प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आधारित।

66वां कार्रवाई प्रतिवेदन

(दिनांक: 08.12.2014 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1 से 115)

समिति का गठन

सभापतिः

श्री रविन्द्र सिंह

सदस्यः

2. श्री जय राम ठाकुर
3. श्री कर्ण सिंह
4. श्री सुरेश भारद्वाज
5. श्री खूब राम
6. श्री बी0के0 चौहान
7. श्री अजय महाजन
8. श्री यादविन्द्र गोमा
9. श्री कृष्ण लाल ठाकुर
10. श्री किरनेश जंग

*11. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

विधान सभा सचिवालय

1. श्री सुन्दर सिंह वर्मा — सचिव
2. श्री वीरेन्द्र कुमार गुलेरिया — अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

---

*नोटः अधिसूचना संख्याः वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-13/2013 दिनांक 28-06-2014 द्वारा श्री मोहन लाल ब्राक्टा को लोक लेखा समिति का सदस्य मनोनित किया गया।

प्रस्तावना

1 मैं, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति के 66वें **कार्रवाई प्रतिवेदन(बारहवीं** विधान सभा) जोकि समिति के 253 मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) पर आधारित है और **लोक निर्माण** विभाग से संबंधित है, को सदन में उपस्थापित करता हूं।

2 समिति का गठन, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 तथा 211 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-13/2013, दिनांक 01.04.2014 एवं 28-06-2014 द्वारा किया गया।

3 समिति का उपरोक्त मूल प्रतिवेदन विभाग को दिनांक 17-4-2001 को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया, जिसके उत्तर दिनांक 6-4-2013 द्वारा विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध करवाए। समिति ने उक्त मूल प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की थीं उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत्त किया गया है:-

i)	कुल सिफारिशें	72
viii)	सिफारिशें जिन्हें सरकार ने मान लिया है या जिनके उत्तरों से समिति सहमत है	44
ix)	सिफारिशें जिनके विभागीय उत्तरों/कार्रवाई से समिति संतुष्ट नहीं हुई तथा जिन पर पुन: विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है	28

(_3.19,4.6,4.10(ग),4.11,4.11(ग),.5.1,4.1.7(iv)(ख),4.1.7(v),4.1.7(v)(ख)4.1.7(vi)(ख),4.1.7(vi)(ग),4.1.7(vi)(ड),4.1.7(vii)(ग)4.1.7(viii),4.1.7(viii)(ख)4.1.7(xi),4.1.7(xiii),4.1.10(i),4.1.10(ii)4.1.10(iv),4.1.10(v),4.10(viii)(क),4.1.10(viii)(ख),4.1.10(ix)4.1.10(ix)(ख)4.1.11,7.5(2) और 7.6

4 समिति ने दिनांक 1.8.2014 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

5 समिति, सचिव, विधान सभा तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने में आवश्यक सहयोग दिया।

(रविन्द्र सिंह)
सभापति,
लोक लेखा समिति।

शिमला-171004.
दिनांक 1.8.2014

प्रतिवेदन

लोक निर्माण विभाग

लोक लेखा समिति के 253वें प्रतिवेदन (नवम विधान सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर बना समिति का 66 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) ।

क्रंसं0	पैरा संख्या/सिफारिश	विभागीय उत्तर
1	3.18- बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनः समिति का मत है कि पैरों के समायोजन की गति धीमी है तथा समिति का सुझाव है कि विभाग द्वारा और भी कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। समिति अनुशंसा करती है कि विभाग पैरों	विभाग ने लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन एंव पैरो की नवीनतम सूची जो *30.09.11* तक जारी किए गए परन्तु *31.03.2012* तक असमायोजित पड़े थे, अनुसार प्रतिवेदन अवधि से सम्बन्धित अब *129* निरिक्षण प्रतिवेदन एंव *185* पैरे शेष असमायोजित पड़े हैं।

	के निपटाने हेतु समयबध्द कार्यक्रम तैयार करे तथा इन्हें शीघ्र निपटाया जाए और की गई प्रगति से समिति को अवगत करवाया जाए।	अक्तुबर 2012 में आयोजित तदर्थ समिति की बैठक में अधिकतर पुराने पैरों का समायोजन किया गया है तथा शेष पैरों के समायोजन हेतु विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2000 से पूर्व के पैरों को शून्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस विषय में यह भी सूचित किया कि लम्बित पैरों सम्बन्धित पुनरीक्षित सूचना भारत के नियन्त्रक एंव महालेखा परीक्षक के नवीनतम प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष शामिल की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में नवीनतम प्रतिवेदन सं0-1 (राज्य के वित पर) वर्ष 2009-10 में भी पैरा **सं0 3.4** में इसका उल्लेख किया गया है जिस पर सिफारिश अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

Settled

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

2	**3.19:-दुर्विनियोजन व्यपहरण इत्यादि:** समिति सिफारिश करती है कि दुर्विनियोजन/ गबन से सम्बन्धित	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया है कि राज भवन (पीटर हॉफ) तथा न्यू मिनिस्टर्ज हाऊस से सम्बन्धित दो मामलों में

3	**4.2: ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता:** (i) विभाग द्वारा कार्यस्थल की असामान्य भौगोलिक परिस्थितियों बारे जो तर्क इंगित किया गया, उसे ठेकेदार को निविदा देने से पहले ध्यान में न रखने के कारण विभाग को ₹ 12.95 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। अतः समिति दोषियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं भविष्य हेतु विभाग ऐसे कार्य के प्राक्कलन बनाते समय निविदाएं आमन्त्रित करते समय सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर कार्य का अवार्ड किया करें अन्यथा विभाग को बाद में करारनामे की शर्तों का उल्लंघन	(i) विभाग ने सूचित किया है कि नाथपा झाकडी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के अनुरोध पर सरकार द्वारा इस समयबध्द सडक निर्माण कार्य को प्राथमिक्ता पर शीघ्र करने के लिए इस 16 कि0 मी0 लम्बी नई सडक की कटाई का कार्य सारी लम्बाई में एक साथ शुरू करना पड़ा। अतः सभी कि0मी0 में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कटाई का कार्य एक साथ किया गया। जहां से यह सडक निकाली गई है, उसके बिल्कुल सीधे नीचे सतलुज नदी बहती है तथा यह सडक सीधी ऊंची 90 अशं की ऊंचाई के पक्के पहाडों को काट कर बनाई गई है, जिसके कारण पक्की चट्टान के कटान के लिए विस्फोट करते ही सारे के सारे पत्थर सीधे नीचे नदी में गिर जाते थे, जिसके कारण पत्थरों को सडक पर रोकना व चट्ठे लगाना कार्य स्थल पर सम्भव नहीं हो पा रहा था। कार्य स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों व कठिनाईयों के कारण अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वृत,हि0 प्र0,लो0 नि0 वि0, रामपुर द्वारा मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए इकरारनामे में दर्शाई गई पत्थरों की वांछित

	कर कार्य करना पड़ता है जो नियमानुसार गलत है तथा समिति के अवलोकनार्थ उन आदेशों की प्रति भी उपलब्ध करवाई जाए जिसके माध्यम से पत्थर को इक्ट्ठा करने की मात्रा *10* से *15* प्रतिशत कम की गई है।	मात्रा उपलब्ध न होने के कारण उसे कम करने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्य अभियन्ता, हि*0* प्र*0*, लो*0* नि*0* वि*0*, शिमला द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करके कार्य स्थल की भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए पत्थरों की मात्रा कम करने के निर्देश पत्र सं*0* नं*0-3004*, दिनांक *7-4-92* द्वारा दिए गए हैं। उसी अधार पर मण्डल में ठेकेदार के *12*वें बिल से तीन लाख की वसूली कर दी गई तथा ₹ *9.00* लाख जो पहले रोक रखे थे, उनकी अदायगी ठेकेदारों को कर दी गई। अतः मामले में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है इसलिए किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
	(ii) समिति विभाग के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि कार्य के अतिरिक्त क्रास सैक्शनों के परिमाप तथा वास्तव में किये गए कार्य में भारी अन्तर हो सकता है। समिति इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हुए वास्तविकता पर	(ii) जैसे उपरोक्त पैरा में निवेदन किया गया है, यह सड़क सतलुज नदी के दाएं किनारे पर बहती नदी के एक दम ऊपर *90* अंश की सीधी ख़डी बहुत ऊंची दुर्गम पक्की ढांको, (पहाडों) को काट कर निकाली गई है, जहां पर पहुचंना व सर्वे करना पूर्णतया असम्भव था। जिस स्थान से इस भाग मे सड़क गुजरी है उसे केवल सतलुज नदी के दूसरे किनारे (बायें) से दूर से ही देखा जा सकता था। दायें किनारे से न तो सड़क की अलायनमैन्ट को देखा जा

	प्राक्कलन आदि तैयार करने की अनुशंसा करती है।	सकता था और न ही वहां पहुंचना किसी भी तरह सम्भव था। इस प्रकार कार्य स्थल पूर्णतया *(Inaccessible)* था। कार्य स्थल की भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस जगह पर बिल्कुल सही सर्वे करना पूर्णतयः असम्भव था। इस बारे सभी उच्चाधिकारियों को पूर्ण ज्ञान था। अतः इस प्राक्कलन की स्वीकृति विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा दी गई है। अतः प्राक्कलन में दर्शाई गई मात्राओं तथा कार्य स्थल पर वास्तविकता में हुए कार्य में भिन्नता होना ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे *(Inaccessible)* कार्य स्थल पर कार्य करने हेतु विभाग मे यही तरीका अपनाया जाता है। यहां यह भी निवेदन है कि प्राक्कलन सौ प्रतिशत सही सम्भव नहीं हो सकता था तथा कार्य को कार्यान्वित अर्थात कार्यान्वयन करते समय कई प्रकार के परिर्वतन आते है और परिर्वतनों सम्बन्धी निर्णय स्थल वास्तविकताओं अनुसार करने पड़ते है ताकि कार्यान्वयन में बाधा न आए और कार्य को कम से कम राशि व समय में पूरा किया जा सके। माननीय समिति का यह कहना है कि यदि प्राक्कलन बनाते

		समय ही कटिंग से निकलने वाले पत्थरों को जमा *(Stock)* करने की मात्रा कुल कटाई का *33* प्रतिशत न रख कर कम रखा होता तो सम्भवतः कटाई का रेट कम आता, सही नहीं है जो कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है:- 1. ठेकेदार कम रेट देने की तभी सोच सकता था यदि अनुबन्ध में कम पत्थर सौंपने की शर्त की स्थिति में सडक पर उससे ज्यादा पत्थर उपलब्ध हो जाते और ठेकेदार उन पत्थरों से किसी तरह की और कमी कर सकता, जो कि इस केस में बिल्कुल सम्भव नहीं था, क्योंकि इस नए कटान वाली दो कि*0* मी*0* सडक पर *33* प्रतिशत पत्थर यानि *35312* घनमीटर पत्थर स्टॉक करना भौतिक तौर पर *(Practically)* वास्तव में न तो सम्भव था और न ही पत्थरों को किसी स्थान पर ले जाना सम्भव था, क्योंकि कार्य स्थल से किसी भी किनारे की तरफ सड़क बिल्कुल नहीं बनी थी। अतः वहां से पत्थर ले जाना *(*शिफट करना*)* सम्भव नहीं था। निविदा की दरें भूमि के वर्गीकरण *(Classification)* पर भी निर्भर करती है तथा इस तरह के कार्य का लगभग यही रेट रहता है।

		2. प्राक्कलन में पत्थरों की मात्रा कुल कटाई का 33% से कम इस कारण नहीं दर्शाई जा सकी क्योंकि प्राक्कलन बनाने के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत (प्रचलित स्वीकृत मानकों के अनुसार) 33% ही रखा जाता था। उन्हें प्राक्कलन की स्टेज पर उस समय कम करना/बदलना सम्भव नहीं था क्योकि विभाग में ऐसा केस पहली बार आया था जहां विल्कुल नई सडक बनाने के लिए प्रति कि0मी0 इतनी अत्यधिक पक्की कटाई करनी पडती है और जहां कार्य स्थल के किसी भी ओर सडक बनी न हो। बनाई जाने वाली सडक के एक दम सीधे नीचे बहता दरिया हो । अतः जब भौतिक तौर पर वास्तविक कार्य मौके पर किया गया तभी इसी बात का अनुभव हो सका कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में इतना पत्थर सडक पर रोकना व इकट्ठा करना असम्भव है, से *33%* ही पत्थर की मात्रा रख कर प्राक्कलन को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। *3.* प्राक्कलन में दर्शाई गई मात्रा व कार्यस्थल पर वास्तव में हुए कार्य की मात्रा में भिन्नता आने का कारण यह भी रहा कि प्राक्कलन में कुछ लम्बाई में सडक कुछ पक्की ढांको में (Overhang) रख कर बनाने का प्रस्ताव रखा था, परन्तु मौके पर जब कटाई का कार्य

		किया गया तो वहां (Overhang) रखना सम्भव न हो सका क्योंकि कटाई करते समय पाया गया कि यद्यपि चट्टान काटने के लिए बहुत सख्त थी परन्तु *(Strata)* में अन्दर काफी नजदीकी ज़ोड *(Joint)* थे तथा चट्टान अन्दर से छितराई हुई पाई गई थी जिसमें (Overhang) रखना न तो सम्भव था, न ही सड़क प्रयोग करने वालों को सुरिक्षत था। अतः इस बारे राज्य भू-वैज्ञानिक से मौका निरीक्षण करवाया गया। राज्य भू-वैज्ञानिक ने निरीक्षण करके अपनी रिर्पोट में इन ढाकों मे (Overhang) न रखने का परामर्श दिया तथा लिखा कि ऐसी भारी ज़ोडों वाली चट्टानों (Overhang) न तो सम्भव है और न सड़क प्रयोग करने वालों को सुरक्षित रहेगी। प्राक्कलन में दर्शाई गई प्रमात्रा व कार्यस्थल पर वास्तविक हुए कार्यो की प्रमात्रा में जो भिन्नता आई थी उसे सही व अपरिहार्य *(Unavoidable)* पाते हुए सक्षम अधिकारी, द्वारा पत्र दिनांक *19.10.95* द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी, जिससे यह साफ जाहिर व प्रमाणित है कि इस भिन्नता का होना मौके की स्थिति के अनुसार अपरिहार्य था। यदि मान लें कि विभाग द्वारा प्राक्कलन की स्टेज पर पत्थरों की मात्रा *33%* से कम दर्शाई जाती तो बाद में यह तर्क दिया जा सकता था कि यदि

		प्राक्कलन में पत्थरों की मात्रा *33%* ही रखी होती तो हो सकता था कि मोके पर *33%* पत्थर उपलब्ध हो जाते और ठेकेदार *33%* पत्थर *सौंप* सकता था, जिससे विभाग का फायदा हो सकता था तथा कम मात्रा दर्शाने के कारण ठेकेदारों ने और पत्थर नहीं सौंपे जिससे विभाग को नुक्सान रहा। अतः पत्थरों की मात्रा प्राक्कलन स्वीकृति की स्टेज पर कम करना उस समय सम्भव नहीं था।
	(iii) समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या मुख्य अभियन्ता द्वारा करारनामें की शर्तों में परिर्वतन किसी भी समय किया जा सकता है।	(iii) इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया है कि मुख्य अभियन्ता ईकरारनामें की शर्तो में कोई परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है । इस मामले में इकरारनामें में दर्शाई गई दरों में कोई कमी नहीं की गई जबकि पत्थरों की मात्रा में आई कमी की *deviation statement* तैयार कर गठित समिति की सिफारिश के अनुसार ही अनुमोदित किया गया । इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, दक्षिण क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक *19.10.95* द्वारा *deviation statement* अनुमोदित की गई हैं।

अग्रेत्तर समीक्षा

(i), (ii) व (iii) विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

Settled

4	**4.3. उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी न्यायालय परिसर रोहड़ूः** समिति विभागीय उत्तर तथा सचिव के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत जानना चाहती है कि ठेकेदार के अन्तिम बिल में किन-किन राशियों का समावेश किया गया है। समिति यह भी जानना चाहती है कि विभाग द्वारा दोबारा ठेका देने से ₹ *10.98* लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा जो मुआवजा उद्ग्रहण तथा जमा प्रत्याभूति के जब्त करने के समायोजन के बाद लगभग ₹ *8.86* लाख रहा है	विभाग ने सूचित किया कि समिति द्वारा इस पैरे के अन्तर्गत कान्ट्रेक्टर के अन्तिम बिल से सम्बन्धित मांगी गई, सूचना इस प्रकार से है:- जितनी राशि का कार्य किया गया 90,681.00 पहले बिल से रोकी गई राशि 8,500.00 कुल राशि :- 99181.00 निर्माण सामग्री की वसूली -94,198.00 शेष राशि :- 4,983.00 सिक्योरिटी की कटौती 5,073.00 (-) आयकर की कटौती 1,959.00 (-) पत्थरो की रायल्टी 5,811.00 (-) मुआवजा *Under Clause 2 Agreement* 1,69,571.00 (-) कुल :- 1,82,414.00 (-) 4,983.00 (+) कुल देय राशिः- **1,77,431.00** (-)

	के बारे विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाए तथा मामले की पुनः छानबीन करवाई जाए यदि उचित हो तो इस बारे न्यायालय में अपील की जाए ताकि अधिक राशि की प्राप्ति हो सके।	लेखा परीक्षण के दौरान उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, रोहड़ू के भवन परिसर कार्य को कान्ट्रेक्ट पर दिये जाने, पहले कांन्ट्रेक्ट द्वारा कार्य छोडने तथा शेष कार्य को पुनः कान्ट्रेक्ट पर दिए जाने सम्बन्धी जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह संक्षेप में इस प्रकार है।

(क)	मूल कांन्ट्रेक्ट को राशि जितनी राशि का कार्य किया गया शेष बचे कार्य की कीमत	6.96 लाख 6.90 लाख 0.06 लाख
(ख)	शेष कार्य के लिए दोबारा दी गई कांन्ट्रेक्ट राशि पहले कॅन्ट्रेक्टर केअनुसार शेष बचे कार्य की कीमत ... दोबारा किये गये कॉन्ट्रेक्ट के परिणामस्वरुप अतिरिक्त की	21.04 लाख 10.06 लाख **10.9 लाख**
(ग)	*जो राशि पहले कॉन्ट्रेक्टर से वसूल की जा सकती थी।* (i) *मुआवजा* Under¼Clause-2)	1.70 लाख

	(Agreement) (ii) *सिक्योरिटी*	*0.42* लाख
	योग ₹	***2.12* लाख**
	दोबारा कॉन्ट्रेक्ट किए जाने के कारण व्यय	*10.98* लाख
	वसूली योग्य राशि	*(-) 2.12* लाख
	समायोजन के बाद व्यय राशि	₹ ***8.86* लाख**

विभाग द्वारा पहला कान्ट्रेक्ट इस कारण समाप्त कर दिया गया क्योंकि कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी थी। कान्ट्रेक्टर द्वारा इस निर्णय पर आरबीट्रेटर के पास मामला ले जाया गया मामले की पूर्ण सुनवाई के बाद आरबीट्रेटर द्वारा ₹ *0.42* लाख की सिक्योरिटी राशि जब्त किये जाने को विभागीय कार्रवाई को सही करार दिया गया। परन्तु जहां तक एग्रीमैन्ट की क्लॉज-*2* के अन्तर्गत मुआवजे का प्रश्न था उसे इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी पर छोड दिया गया, जिसे बाद मे क्लाज-*2* के अर्न्तगत हुई सुनवाई के फलस्वरुप सक्षम अधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है। यदि सारे मामले को पुनः समीक्षा की जाए तो दोबारा कॉन्ट्रेक्ट किए जाने के कारण अतिरिक्त राशि वास्तव में ₹

		8.86+1.70=10.56 **लाख** बनती है। जहां तक इस राशि को पहले वाले कान्ट्रेक्टर से वसूल किए जाने का प्रश्न है वह न्यायालय के माध्यम से भी शायद सम्भव न हो क्योंकि क्लॉज-*2* के अन्तर्गत की गई कार्रवाई ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा गलत ठहराई गई जिसके कारण मुआवजा माफ कर दिया गया। वैसे इस सारे प्रकरण को यदि अन्य दृष्टिकोण से देखा जाये तो जबकि क्लॉज-*2* के अन्तर्गत की गई कार्रवाई गलत साबित होती है तो कलॉज *-3* के अर्न्तगत ऑरबीट्रेटर द्वारा दिए गए एवार्ड के दृष्टिगत यह सही बनती है। इससे एक प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो गई है यदि कलॉज *-2* व *3* के अन्तर्गत की गई दोनों कार्रवाईयां एक दूसरे के विपरीत न होते हुए सही होती तो प्रश्न यह उठता है कि क्या पुनः कॉन्ट्रेक्ट किए जाने के कारण जो अतिरिक्त कीमत बनती है उसे उसी मूल्य तक वसूलना सम्भवतः व्यवहारिक था *?* क्योंकि कान्ट्रेक्ट को समाप्त किए जाने की कार्रवाई सिक्योरिटी जब्त किये जाने के अन्तर्गत की गई है। जिसे आरबीट्रेटर ने भी सही ठहराया है। अतः उपरोक्त स्थिति के मददेनजर न्यायालय में अपील करने का कोई औचित्य नहीं लगता।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

5	***4.4:* अतिरिक्त मुआवजे का अस्वीकार्य भुगतान :** संशोधित भू-अर्जन अधिनियम की धारा-*23 (1-क)* में स्पष्ट किया जाता है कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से सम्बन्धित अतिरिक्त राशि का भुगतान भूमि के बाजार मूल्य की *12%* वार्षिक दर से अधिनियम की धारा-*4 (1)* के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से समाहर्ता द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक अथवा भूमि का कब्जा लेने की	विभाग ने सूचित किया कि भू-अर्जन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग,विन्टर फिल्ड, शिमला -*3* द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मुआवजे की अदायगी में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि लोगों को भूमि के मुआवजे की अदायगी *25.2.1991* से जब इसकी अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था, से लेकर अवार्ड की तिथि *30.6.93* तक इसके मुआवजे की गणना निम्न प्रकार से की गई:- (1) भूमि का मुआवजा — 7,15,568.12 (2) *मकान* का मुआवजा — 1,78,568.00 (3) पेंडों का मुआवजा — 0,661.00 मुआवजे की राशि — 9,03,797.12 (4) *30%* सोलेशियम अधीन धारा -*23(2)* — 2,71,139.1

	तिथि जो भी पहले हो, तक किया जाना चाहिए। उक्त दोनों मामलो में अतिरिक्त मुआवज़े का भुगतान फरवरी, 1991 में प्रकाशन की अन्तिम तिथि से स्वामित्व लेने की पूर्ववर्ती तिथि तक की बजाए जून 1993 में अधिनिर्णय की तिथि तक किया गया है। समिति समझती है कि इन दोनों मामलों में विभाग द्वारा दिया गया तर्क कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा रेवेन्यू रिकार्ड में कब्जे का इन्द्राज होने की तिथि से माना जाता है युक्ति संगत नहीं क्योंकि भूमि का वास्तविक कब्जा तब ही मान			
		(5)	12 % अधीन धारा -23(1)	1,02,809.99
			25.12.1991 से 5.2.1992 तक (346 दिनों का)	
			5.2.1992 को कुल मुआवजा राशि	**12,77,746.60**
			5.2.1992 को वास्तादाराज़ की अदा की गई मुआवजा राशि-	(-)10,27,323.53
			5.2.1992 को मुआवजा की बकाया राशि	**2,50,423.07**
			5.2.1992 से 30.6.1993 तक मुआवज़ा राशि ₹-2,50,423 पर दिया गया	
			12% ब्याज	42,071.03
			कुल देय राशि	2,92,494.10

	लिया जाता है जब भूमि को निहित कार्यों के लिए विभाग को वास्तविक तौर पर सौंप दिया जाता है। राजस्व रिकार्ड में कब्जे का इन्द्राज तो बाद में किया गया है। समिति विभागीय उत्तर से सहमत नहीं है तथा ₹ 0.55 लाख के अस्वीकार्य भुगतान हेतु विभागं से समिति विस्तृत टिप्पणी चाहेगी ताकि नियमों का अतिक्रमण न हो।	5.2.1992 को मुआवज़ा दिया गया	10,27,323.53
		अवार्ड की घोषणा के उपरान्त अदा की गई मुआवज़ा राशि	2,92,494.10
		अवार्ड का कुल भुगतान	13,19,817.63

इसी प्रकार से गांव बट्रेड के मुआव़जा की राशि का किया गया भुगतान 0.55 लाख में भी किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। क्योंकि यह दोनो अवार्ड उसी सडक से सम्बन्धित है जो 12% मुआवजा 5.2.1992 से 30.6.1993 तक दिया गया है। दिनांक 5.2.1992 को की गई अदायगी में लोगों का जो बकाया बचता था का भुगतान भू-अधिनियम की धाराओं के अनुसार ही दिया गया है तथा इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

Settled

6	***4.6:* सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय:** समिति जानना चाहती है कि विभाग को जब यह ज्ञान पूर्व में ही था कि जिला किन्नौर की भूमि खिसकने वाली है, तो भू-वैज्ञानिक का परामर्श समय पर क्यों नहीं लिया गया। विभागीय उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि सडक का कार्य शुरु करने से पहले ठीक प्रकार से सर्वेक्षण नहीं किया गया, यदि उस स्थान की मिट्टी की किस्म के बारे में पहले ज्ञान हो जाता तो सडक का निर्माण कार्य उस ढंग से किया जाता। भू-वैज्ञानिक ने क्या	विभाग ने सूचित किया कि विभाग द्वारा कार्य नजदीकी ग्रामवासी आदि की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए किया गया है। लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष *1994-95* (पैरा न*0-2)* में भू-वैज्ञानिक के परामर्श बारे जानकारी मांगी थी जिसके उत्तर में लेखा परीक्षा को यह अवगत करवाया गया था कि लोग मार्ग सुविधा से वंचित न रहें इसलिए कई बार कार्य बगैर परामर्शों के शुरू करना पड़ता हैं। जिस समय इस मार्ग के लिए कार्य शुरू किया गया था उस समय जिला किन्नौर की भूमि/पहाड़ में भू-खण्ड का कोई भी अन्देशा नहीं पाया गया था। परन्तु बाद में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूमि खिसकने लगी। सन *1995* में इस विभाग ने भू-वैज्ञानिकों के परामर्श के लिए कार्रवाई की थी। परन्तु अब वह रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। क्योंकि सन् *2000* मे क़डच्छम मण्डल का पूरा कार्यालय बाढ़ में बह गया था। अतः इस समय इस विषय मे कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

	परामर्श दिया है। समिति इस मामले में पुनः छानबीन करने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुध्द अनुशासनात्मक प्रक्रिया अपनाकर जिम्मेदारी निर्धारित करवा कर कृत कार्रवाई करने एंव ₹ *69.97* लाख के खर्च मदवार तथा वर्षवार ब्यौरा भी उपलब्ध करवाने की संस्तुति करती है।	*2.* इस सडक के सर्वेक्षण का कार्य उस समय सरकार की नीति के अनुसार हर एक गांव को वाहन योग्य मार्ग से जोडने के लिए इस मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था। उस समय जिला किन्नौर में भू-स्खलन का अंदेशा कम था और लोगों की मांग अनुसार इस विभाग को कई कार्य अन्य परामर्श के बगैर भी करने पडते थे। इस विभाग का कडच्छम मण्डल का सारा रिकार्ड सन *2000* में बाढ में बह गया है और भू-वैज्ञानिकों का परामर्श तथा अन्य जानकारियों का कोई भी हवाला प्राप्त नहीं हैं। अतः इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों का पता लगाना तथा ₹ *69.97* लाख के वर्षवार/मदवार ब्यौरा भी उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। सन् *2000* के बाद इस सडक का निर्माण कल्पा मण्डल के अधीन आ गया था तथा अब इस कार्य को पूरा कर लिया गया है।

अग्रेतर समीक्षा

समिति को अवगत किया जाए की विभाग ने ₹ 69.67 लाख के व्यय को किस प्रकार से समायोजित किया है । समिति जानना चाहती है कि वर्ष 2000 के बाद सड़क का निर्माण कल्पा

मण्डल के अधीन आने पर कितनी राशि का व्यय हुआ था? समिति को पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए।

7	**4.7-परिहार्य व्ययः-** समिति विभागीय उत्तर के विरोधाभास होने के फलस्वरुप की गई जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाई जाए जिसमें विभाग ने अपने उत्तर में कहा था कि रस्से घिसने के कारण टूटे थे अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि रस्सों पर भारी वृक्ष गिरने से वे टूट गए। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा दल को जिस भी अधिकारी ने गलत सूचना दी	विभाग ने सूचित किया कि इस सम्बन्ध में जांच अधिशासी अभियन्ता, जुब्बल द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.9.97 को प्रस्तुत की गई । सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से उपलब्ध नवीनतम स्थिति अनुसार रिकार्ड के मुताबिक कहीं भी उल्लेख नहीं है कि रस्से घिसने के कारण टूटे थे । इस सम्बन्ध में माननीय समिति को हुई असुविधा के लिए खेद है। भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालयों को लेखा परीक्षा को तथ्यों पर आधारित सूचना उपलब्ध न करवाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने बारे निर्देश जारी किए गए हैं ।

	है, उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अवगत करवाने की सिफारिश करती है।	

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

8	***4.8:*** **निविदाएं स्वीकार न करने के कारण परिहार्य दायित्व:**	
	समिति विभागीय प्रतिनिधि के स्पष्टीकरण से पूर्णतया सहमत नहीं हुई तथा जानना चाहा कि जब विभाग ने इस पुल का निर्माण कार्य स्वंय करने का निर्णय लिया तो उस	विभाग ने सूचित किया कि वर्ष *1991-92* में सुनेहल खड्ड पुल की तकनीकी, स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुल निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, ब्रडसर मण्डल द्वारा *4.9.1992* को निविदाएं आमन्त्रित की गई थी। परन्तु वर्ष *1991-92* में जो ₹ *4.00* लाख का बजट प्रावधान इस पुल हेतु था। वह इस मण्डल के अन्तर्गत चल रहे अन्य पुल जिनका निर्माण कार्य लगभग समाप्ति पर था, के लिए व्यय किया गया। वर्ष

वक्त मजदूरों, मशीनरी एंव उपस्करों की उपलब्धता का मामला ध्यान में क्यों नहीं रखा गया, विस्तृत ब्यौरा दें। समिति इस बात से भी सहमत नहीं है कि जब विभाग के पास वर्ष 1991-1994 तक ₹ 13 लाख की राशि इस कार्य हेतु उपलब्ध थी तो निविदाएं किन कारणों से वापिस की गई, जो कि धन की कमी न दर्शाते हुए विभाग के गलत प्रबन्ध का द्योतक है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में किसी कार्य के टैण्डर तब तक न किए जाएं जब तक उस कार्य हेतु पर्याप्त बजट

1992-93 में इस पुल के निर्माण हेतु केवल ₹ 1.00 लाख का बजट प्रावधान था जोकि अपर्याप्त था। यदि इस (सुनेहल खड्ड) पुल के निर्माण का कार्य ठेकेदार को सौंपा होता तो हो सकता था कि इतनी धन राशि से उसके बिलों का भुगतान न हो पाता तथा विभाग को ठेकेदार की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता।

वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में जो क्रमशः ₹ 4.00 लाख व ₹ 1.00 लाख का बजट प्रावधान था। वह अन्य मुख्य पुलों पर प्रयोग में लाया गया जोकि लगभग पूर्ण होने की स्थिति में थे, और लोक हित में महत्वर्पूण् थे। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

(₹ लाखों में)

सुनेहल खड्ड पुल			**जिन पुलों पर सुनेहल खड्ड पुल के बजट में से व्यय किया गया ।**		
वर्ष	स्वीकृत बजट	व्यय		स्वीकृत बजट	व्यय
1991-92	4.00	-	लुदर सुलगवान मार्ग पर लिंडी खड्ड पर पुल	3.00	6.70

का प्रावधान न हो।

			करोर बसारल मार्ग पर मान खड्ड पर पुल	14.50	15.20
1992-93	1.00	-	-तथैव-	3.20	27.37
1993-94	8.00	-	-तथैव-	9.00	34.92

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उपलब्ध बजट का उपयोग उन कार्यों पर व्यय करके जोकि लगभग समाप्ति पर थे, एक उचित व कारगार कदम था। विभाग के पास उपलब्ध मजदूर, मशीनरी एंव उपस्करणों को इसी मण्डल के अधीन निर्माणाधीन उपरोक्त पुलों पर ही लगाया गया था। अतः सुनेहल खड्ड पुल का निर्माण कार्य हस्तगत नहीं किया जा सका।

सुनहेल खड्ड पुल के निर्माण हेतु 16.12.1993 को पुनः निविदाएं आमन्त्रित करके 17.1.1994 को खोली गई। वर्ष 1994 में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया तथा इस पुल का निर्माण कार्य 12/1997 के बजट प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण करके यातायात के लिए खोल दिया गया। विभाग का हमेशा यही प्रयास रहता है कि उपलब्ध बजट में अधिक से अधिक कार्यों को कार्यान्वित करके लोगों को उचित

		लाभ पहुंचाया जाए । माननीय समिति द्वारा की अनुशंसा को नोट कर लिया गया है तथा इस पर पूर्णतयः अमल किया जा रहा है ।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

9	***4.9:*** **तकनीकी विनिर्देशों की अनुपालना न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्ययः** समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत जानना चाहती है कि जो स्पष्टीकरण विभाग द्वारा दिया गया है वह तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि टैक कोट बिछाने पर ₹ *1.8* लाख का अधिक खर्च नेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी के निर्देशों को न मानकर किया गया है। गग्गल	विभाग ने सूचित किया कि टैक कोट लगाने पर ₹ *1.84* लाख का अधिक खर्च परिहार्य व्यय नहीं है वास्तव में टैक कोट हवाई अड्डे के महत्वपूर्ण कार्य की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये तथा सी0आर0टी0 नई-दिल्ली के सुझाव पर मुख्य अभियन्ता (उत्तर) की स्वीकृति के उपरान्त ही लगाया गया था। यह भी सूचित किया कि उक्त मद की निरीक्षण प्रतिवेदन *1994-95* में कांग़डा मण्डल की लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा दल द्वारा विभागीय औचित्य के मध्यनजर अपनी सहमति प्रकट कर

	हवाई अड्डा ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नहीं है तथा गर्मियों के मौसम में वहां तापमान इतना कम नहीं होता कि तारकोल मिश्रित रोडी तथा घने अस्फाटिक युक्त कंकरीट बिछाने का काम साथ-साथ नहीं किया जा सकता। समिति समझती है कि ₹ 1.84 लाख का अधिक व्यय तकनीकी विनिर्देशों की अनुपालना न करने के कारण ही हुआ। इस संदर्भ में समिति सिफारिश करती है कि विभाग दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुध्द कार्रवाई करे तथा कृत कार्रवाई से समिति को अवगत करवाया जाए।	पैरे का समायोजन कर दिया गया है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

10	*4.10 (क)* **ठेकेदारों को अधिक/ अस्वीकार्य भुगतान** समिति अनुशंसा करती है कि मामले में शीघ्र निणर्य हेतु न्यायालय से पत्राचार करे तथा निणर्य अनुरुप कृत कार्रवाई की जाए इसके साथ-साथ समिति दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुध्द की गई कार्रवाई से भी अवगत होना चाहती है।	विभाग ने सूचित किया कि कल्पा मण्डल में विरासंग में पैदल चलने योग्य पुल के बारे में जो 10% कम्पनसेशन लगाया था, की वसूली के बारे न्यायालय द्वारा अपना अन्तिम फैसला विभाग के पक्ष में दे दिया गया है जिसके अनुसार ठेकेदार से *10%* कम्पनसेशन के साथ ब्याज सहित कुल ₹ *1,72,331/-* की वसूली श्री सतीश गोयल, ठेकेदार से कर दी गई है। उक्त राशि को सहायक अभियन्ता, पूह उप-मण्डल, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूह के जी*0* आर*0* संख्या-*275040/751,* दिनांक *5.11.03* द्वारा जमा की जा चुकी है। जैसे कि पहले भी सूचित किया गया था कि ठेकेदार को अधिक भुगतान गणितीय गलती के अन्तर्गत सूत्र गलत लगने से हुआ था तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली भी कर ली गई थी। इसलिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूध्द कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

11	*4.10* (ग) समिति विभागीय तर्क के दृष्टिगत अनुशंसा करती है कि इस संदर्भ में विभाग द्वारा जारी हिदायतों को संशोधित किया जाए और शेष ₹ *64,993/-* की वसूली ठेकेदार के अन्तिम बिल से करके कृत कार्रवाई से समिति को अवगत करवाया जाए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि जब सम्बन्धित ठेकेदार का अन्तिम बिल बनाया जा रहा था व लेखा आपत्ति के अनुसार ₹ *64,993/-* की वसूली की जा रही थी तो ठेकेदार वसूली के विरुध्द विवाचन में चला गया। परन्तु विवाचक ने विभागीय दावे को जिसमें ₹ *64,993/-* की वसूली शामिल थी स्वीकार नहीं किया। विवाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार जिसमें रिबेट सॉफ्ट के भार की वसूली स्पैसीफीकेशन के मुताबिक नहीं की जानी है तथा रीबेट वोल्ट व नट का तोल भी शामिल समझा जाये। यह निर्णय विवाचक द्वारा 11 जनवरी, 2000 को सुनाया गया तथा *7* वर्ष का ब्याज राशि *18 %* की दर से घटाकर *11 %* के हिसाब से जोडी गई। इस अधिनिर्णय को हिमाचल प्रदेश सरकार विधि विभाग के पास आगामी अपील दायर करने बारे परामर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, परन्तु विधि विभाग द्वारा इस मामले पर विवाचन अधिनियम *1996* के अर्न्तगत विवाचन अधिकारी के

		निर्णय को उचित ठहराया और इसे उच्च न्यायालय में ले जाने के काबिल नहीं समझा क्योंकि विवाचक द्वारा ब्याज की राशि *18 %* प्रतिवर्ष की दर से घटाकर *11 %* कर दी गई थी और ब्याज अदा करने का समय भी *10* वर्ष से कम करके *7* वर्ष कर दिया गया था।

अग्रेतर समीक्षा

समिति को शेष बची ₹ 64,993/- की वसूली व ब्याज की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

12	***4.11:*** **निर्माण कार्यो पर निष्फल व्ययः** **(क) समिति** जानना चाहती है कि जिन सडकों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान था उन पर कार्य न करके अन्य सडकों पर कार्य किया गया जबकि उन सडकों के लिए वित्तीय प्रावधान नहीं था तो	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि पैरे में वास्तव में *11* सडकें वर्णित हैं जिनकी नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः- **हरिपुरधार मण्डलः** ***1)*** **गांव चौकर के लिए सर्म्पक मार्ग का निर्माणः** इस सडक का कार्य प्रधान मन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया गया है।

	ऐसी अवस्था में इन सडकों के लिए धन का प्रावधान कैसे किया गया। यदि धन की कमी थी तो इतने सारे काम एक साथ क्यों शुरू किए गए। शेष 13 मामलों में भारत सरकार से अनुमति मिल गई है या नहीं। समिति को यह भी सूचित किया जाए कि फौरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अधीन जिन सडकों के निमार्ण की परमीशन मिल गई है क्या उन पर कार्य शुरू हो गया या नहीं।	**2) मंगवा स्लायु सडक का निर्माण (कि0मी0-0/0 से 10/0) :** इस सडक का प्रावक्लन नबार्ड के अन्तर्गत कि0 मी0 0/0 सें 16/05 तक तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति वांछित है। **शिलाई मण्डल** **3) बडगिया - डाण्डा-पगार -अम्बोआ सडक :** इस मार्ग की कुल लम्बाई -5 कि0मी0 है। इस मार्ग के निर्माण का कार्य 3/95 में पूर्ण किया जा चूका है। **शिमला मण्डल नम्बर- 1** **4) बड से होकर भलगांव से क्यारी तक मोटर योग्य सड़क** शलगांव से क्यारी सडक का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 11.86 कि0 मी0 बनती है की प्रशासनिक स्वीकृति / अनुमोदन पत्र दिनांक 3.3.86 द्वारा ₹ 13,29,500 की गई थी। इसका निर्माण कार्य शोघी उप-मण्डल द्वारा किया जा रहा है जिसकी नवीनतम स्थिति से शीघ्र ही

माननीय समिति को अवगत करवाया जावेगा।

कल्पा मण्डल

5) वर्ष 1995-96 में भारी भू-स्खलन से सतलुज नदी के बन्द होने के कारण सडक की दिशा को बदलना पड़ा। नदी की बाई ओर 2.500 कि0 मी0 गाडियों के चलने योग्य सडक बनाई गई है। जिसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। सतलुज नदी के दांई ओर का कार्य प्रगति पर है। सतलुज नदी के ऊपर खाब टाशिंग पुल का निर्माण कार्य ठेकेदार को अवार्ड कर दिया गया है जोकि प्रगति पर है। सब-स्ट्रकचर का कार्य टाशिंग की तरफ फोडिंग केवल 1002 मीटर से 1010.90 तक का कार्य पूर्ण कर दिया है और नमज्ञा तरफ नींव की खुदाई पूर्ण हो चूकी है। नींव में कंकरीट डाला जा चुका है। इस कार्य की नवीनतम स्थिति से शीघ्र ही माननीय समिति को अवगत करवाया जाएगा।

डलहौजी मण्डल

6) **लाहडू सरना-सलोह रायपुर सडक :**

इस सडक के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय

स्वीकृति, हि0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 19-7-83 ₹ 20,05, 000/- मात्र की प्रदान की गई व वर्ष 1983-84 में निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब तक ₹ 3,38,520/-व्यय किए जा चुकें हैं व 1.260 कि0मी0 मोटर योग्य व 4.940 कि0मी0 ट्रैक का निर्माण कर लिया गया है। उसके आगे का कार्य संरेखण में निजी भूमि व वनभूमि आने के कारण अवरूध्द पड़ा है, जिसके लिए स्थानीय निवासियों, जिनकी भूमि सड़क के संरेखण में आती है से लिखित रूप में भूमि उपदान में विभाग को उपलब्ध करवाने के लिए कोशिश जारी है। निजि भूमि विभाग को उपलब्ध हो जाने के तत्पश्चात उसके आगे के भाग में वनभूमि आती है जिसके लिए मामला वन विभाग से उठाया जाएगा।

7) होवार से ककीरा वकलोह घटासनी खैरड़ा लिंक सड़क:

इस सड़क का निर्माण कार्य नावार्ड के अन्तर्गत कि0मी0 0/0 से 5/0 तक किया जा रहा है व कि0मी0 0/105 तक मोटर योग्य कच्ची सड़क का निर्माण हो चुका है, उसके आगे कि0मी0 4/0 से 5/0 तक वनभूमि आती है। वन विभाग ने सैध्दांतिक तौर पर वनभूमि को इस विभाग के नाम परिवर्तित करने बारे स्वीकृति प्रदान कर दी है। वन विभाग को

एन0वी0बी0/सी0ए0 की अदायगी भी कर दी गई है ।

8) चुंवाड़ी रायपुर वरास्ता उरेरा, मधियारा गगार बलोह वाया चेहली होवार सड़क :

इस सड़क का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व अन्य मद्दों से कि0मी0 0/0 से 8/700 (बलोह चैहली फगोट तक) मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है व उसके आगे के भाग (बलोह चैहली फगोट तक) को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण करने हेतु औपचारिकतांए पूर्ण की जा रही है तथा निजी भू-मालिकों से विभाग को उपहार पट्टे उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया जा रहा है । अब तक उपरोक्त निर्मित सड़क पर ₹3,88,441/-व्यय किए जा चुके हैं ।

9) जोलना मोरठू सड़क :

इस सड़क के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति ₹ 40,29,700/-सचिव (लो0नि0) हिमाचल प्रदेश, सरकार शिमला के पत्र दिनांक 31.3.1987 को प्रदान की गई। अब तक सड़क के निर्माण कार्य पर ₹ 1,86,244/- व्यय किए जा चुके हैं व 1.000 कि0मी0 मोटर योग्य सड़क व 2.800 कि0मी0 सुधार कार्य कर लिया गया है ।

		सड़क के आगे के भाग में संरेखण में निजी भूमि आने के कारण कार्य बन्द पड़ा है । वहां के निवासी (भू-मालिक) अगर अपनी भूमि उपदान स्वरूप विभाग को लिखित रूप में उपलब्ध करवाते हैं तो आगे का कार्य औपचारिकतांए पूर्ण करने उपरान्त बजट प्रावधान के अनुसार शुरू कर दिया जाएगा । **कांग़डा मण्डल** *10)* **वोहड़ू क्वालू सिरमनी डाका पलेरा बन्दला रोड़ः** यह सड़क कि0मी0 0/0से 7/0 का कार्य पूर्ण हो चुका हेै। इस सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है । **सरकाघाट मण्डल** *11)* **टिहरा गद्दीधार कमलाह किला सड़कः** अब इस सड़क का कार्य नाबार्ड प्रोग्राम (योजना) के अन्तर्गत करवाया जा रहा है और कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को पूर्ण करने में कोई भी बाधाएं आने की सम्भावना नहीं है।

अग्रेतर समीक्षा

समिति संस्तुती करती है कि जिन जिन सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा या किसी कारणवश रूका पड़ा है उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के प्रयास किए जाएं। जिन सड़कों के लिए बजट प्रावधान रखा था उनके लिए विभाग ने क्या प्रबन्ध किए हैं। शेष 13 मामलों में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हुई या नहीं, फोरेस्ट कलियरेन्स मिलने पर कितनी सड़कों पर कार्य शुरू किया गया ?पूर्ण विवरण समिति को उपलब्ध करवाया जाए।

13	**4.11 निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय:** (ख) समिति कल्पा मण्डल के अन्तर्गत निर्माणाधीन नगलक पुल बारे न्यायालय के निर्णय से अवगत होने के साथ सोलन मण्डल के अर्न्तगत गिरी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पूर्ण करने हेतु पर्याप्त बजट प्रावधानों एंव कार्य की अद्यतन	पैरा में वर्णित पुलों की स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :- *(i)* नगलक पुल के बारे में न्यायालय का फैसला दिनांक *31.3.2001* को विभाग के पक्ष में हो गया है तथा निर्णय अनुसार *10* प्रतिशत कम्पनसैशन राशि ब्याज सहित ₹1,72,331/- श्री सतीश गोयल, ठेकेदार से वसूली कर सहायक अभियन्ता, पूह उपमण्डल द्वारा जी0 आर0 संख्या-*275040/751* दिनांक *5.11.03* द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई। *(ii)* सोलन मण्डल के अर्न्तगत जी0पी0 हिन्नर करगान् काटल में गिरी

	स्थिति से अवगत करवाने की अनुशंसा करती है।	नदी पर पैदल चलने वाले पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा यह पुल आवागमन के लिए खोल दिया गया है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

14	*4.11* (ग): समिति इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु पूर्व में पर्याप्त बजट प्रावधन क्यों नहीं किया गया तथा भविष्य हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने हेतु उचित पग उठाकर इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करके वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने की संवीक्षा/अनुशंसा करती है।	इस सम्बन्ध में विभाग ने अपने उत्तर में सूचित किया कि कार्यों को पूर्ण करने हेतु बजट सरकार द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध किया जाता है। पैरों में वर्णित भवनों में से *5* कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है तथा प्रत्येक कार्य की स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:- **बिलासपुर मण्डल नम्बर-*1*** ***(1)* बिलासपुर में कृषि विभाग हेतु अतिरिक्त कार्यालय आवास भवन के निर्माण कार्य** इस भवन का कार्य पूर्ण करके वर्ष *1997-98* में सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया गया है।

		रामपुर मण्डल **(2) जगोडी में माध्यमिक स्कूल भवन** इस भवन का कार्य 29.6.99 को पूर्ण करके सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया गया। **(3) क्यों मे माध्यमिक स्कूल भवन** इस भवन का कार्य भी पूर्ण करके सम्बन्धित विभाग को 22.5.2000 को सौंप दिया गया। **रोहड़ू मण्डल** **(4) डोडरा में माध्यमिक स्कूल भवन** इस सम्बन्ध में माननीय समिति को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य बारे कनिष्ठ अभियन्ता (श्री एम0एल0राणा) के विरुध्द सतर्कता विभाग की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तथा मामला कोर्ट में लम्बित है।

		ऊना मण्डल **(5) जिला शिक्षा अधिकारी भवन,ऊना** इस भवन का कार्य मार्च, 1999 को पूर्ण करके सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया गया। **मण्डी मण्डल न0-1** **(6) कटौला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण** इस भवन का कार्य पूर्ण करके मार्च, 1996 को भवन स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया हैं।

अग्रेत्तर समीक्षा

समिति को डोडरा में माध्यमिक स्कूल भवन निर्माण से सम्बन्धित मामले में न्यायालय के निर्णय से अवगत करवाया जाए।

15	**5.1 सामग्री का दुर्विनियोजनः** समिति पैरे में वर्णित 5 केसों में से 4 केस जो रामपुर वृत से	इस विषय में विभाग ने सूचित किया कि रामपुर वृत के अन्तर्गत आने वाले मण्डलों द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदारों से पत्र

	सम्बन्धित है के सन्दर्भ में जानना चाहती है कि विभाग द्वारा इन मामलों को पुलिस को सौंपने में बहुत ज्यादा विलम्ब किया गया है और कुछ मामले तो पुलिस को सौंपे ही नहीं गए हैं। समिति इस मामले में बरती गई ढील के लिए दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुध्द कृत कार्रवाई से अवगत होना चाहती है। समिति हैरानी व्यक्त करती है कि ढुलाई करने वाले ठेकेदारों से करार करते समय सरकारी हितों का ध्यान किसी भी स्तर पर नहीं रखा गया।	व्यवहार में लगे समय के कारण मामलों को पुलिस को सौंपने में विलम्ब हुआ है। सम्बन्धित मण्डलों द्वारा विचुमन की ढुलाई को सौंपे गए कार्य की मण्डलवार स्थिति निम्न प्रकार से है :- *1)* **कल्पा मण्डल:** कल्पा मण्डल को *56,712/-* रुपये की सामग्री (विमुचन) दिया जाना था। जो कल्पा मण्डल के पत्र दिनांक *10.7.95* के द्वारा निविदा राशि का *10* प्रतिशत कम्पनसैशन (मुआवजा) लगाया गया था। **2) काजा मण्डल:** काजा मण्डल द्वारा *-10/91* में *200* मीट्रिक टन *(1236* ड्रम) विचुमन की ढुलाई का कार्य प्रताप गुडस कैरियर मण्डी *(हि0प्र0)* को सौंपा गया था। इस ढुलाई के कार्यों को *3* माह के भीतर समाप्त करना था। लेकिन ठेकेदार ने केवल *806* ड्रमों का ही ढुलान किया तथा शेष *430* ड्रम को सपूर्दगी अभी बाकी थी, विमुचन की शेष *430* ड्रमों की ढुलाई हेतु ठेकेदार को कई बार नोटिस दिए गए लेकिन ठेकेदार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तथा ठेकेदार को ढुलाई किए गए *806* ड्रमों के किराए का भुगतान ₹ *2,71,499/-* भी रोक दिया गया। माह-*9/98* में यह मामला पुलिस की छानबीन हेतु सौंपा गया। ठेकेदार द्वारा *430* ड्रमों की आपूर्ति न किए जाने

	इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की समिति अनुशंसा करती है। समिति नुकसान की भरपाई हेतु की गई कार्रवाई मामलेवार समिति के विचारार्थ प्रेषित करें ताकि समिति मामलों को निपटाने बारे अपना अभिमत दे सके।	से विभाग को ₹ 3,29,491/ की क्षति हुई जिसकी पूर्ति कर ली गई है । ठेकेदार द्वारा ढुलाई किए गए 806 ड्रमों के ₹ 2,71,499/- बनती थी जो उसे नहीं दी गई तथा शेष ₹ 57,992/- बैंक ड्राफ्ट नम्बर -471440 दिनांक 15.9.2001 द्वारा काजा मण्डल में जमा करवा दिए हैं। जिनके फलवस्वरुप पुलिस ने मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया है। 3) **निरमण्ड मण्डलः** निरमण्ड मण्डल द्वारा 90 टन विचुमन मथूरा से ढुलाई का करार मैसर्ज़ यू0पी0ट्रास्पोर्ट 10 मुक़ड कम्पलैक्स होली गेट मथुरा के साथ अवार्ड दिनांक 5.1.93 को किया गया था। फर्म ने मथुरा रिफाइनरी से 22.9.94 द्वारा 113.88 टन विचुमन उठाया। फर्म ने इस मण्डल को केवल 92.04 टन विचुमन ही दिया । इस प्रकार 21.84 टन विचुमन इस मण्डल को कम दिया जिसका मुल्य ₹ 1,42,100/- बनता है। निरमण्ड मण्डल द्वारा ठेकेदार का ढुलाई का बिल जोकि ₹ 85,137/- बनते है का भुगतान नहीं किया गया था तथा ठेकेदार से बकाया विचूमन की आपूर्ति करने हेतु आग्रह किया जाता रहा जिस कारण पुलिस में मामला दर्ज करने में विलम्ब हुआ है । अब ठेकेदार को ढुलाई के बिल का समायोजन पश्चात् केवल ₹ 56,963/- की वसूली की जानी है । अतः मण्डल द्वारा उपरोक्त फर्म के विरुध्द मामला

		पुलिस में दर्ज करवाया गया है। मामले की नवीनतम स्थिति सम्बन्धित मण्डल से अपेक्षित है । **4) करछम मण्डलः** इस विषय में सूचित किया जाता है सहायक अभियन्ता करछम उपमण्डल द्वारा एफ0आई0आर0 संख्या-16/96,दिनांक 6.6.1996 में पुलिस चौकी लांगा में शिकायत दर्ज़ करवाई गई थी जिस पर अभी तक पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई अपेक्षित है। **5) बिलासपुर मण्डल नम्बर-1** इस मामले में कुलदीप चन्द, ठेकेदार को मथुरा रिफायनरी से बिलासपुर भण्डार तक 870 तारकोल के ड्रमों की ढुलाई का ठेका दिया गया था। श्री कुलदीप चन्द ठेकेदार को मथूरा रिफायनरी द्वारा 870 ड्रमों की सुपुर्दगी कर दी गई लेकिन ठेकेदार ने 660 ड्रम ही विभाग को सौंपे तथा कार्य को अधुरा छोड़ दिया। विभाग ने 270 तारकोल के ड्रमों के गबन के शक पर उपरोक्त ठेकेदार के विरुध्द पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी। ठेकेदार द्वारा कार्य पुरा न करने पर विभाग ने आर्बीट्रेटर की

		नियुक्ति की तथा आर्बीट्रेटर ने 26.6.98 द्वारा श्री कुलदीप चन्द, ठेकेदार के विरुध्द ₹ 2,13,342/-का अवार्ड इस विभाग के पक्ष में दिया तथा वसूली हेतु मामला सी0जे0एम0 कोर्ट बिलासपुर में लम्बित है । यह भी सूचित किया जाता है कि अब कुलदीप चन्द, ठेकेदार व उसकी पत्नी का देहान्त हो गया है।

अग्रेतर समीक्षा

समिति विभागीय उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा पैरा में दर्शाए गए मण्डलों के अधीन विचूमन की ढुलाई में हुए गवन के मामलों में सम्बन्धित ठेकेदारों के विरूद्व पुलिस /न्यायालय में चल रहे मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

16	**5.2 सामग्री की अधिक खपतः** समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत जानना चहाती है कि निर्धारित प्रावधानों से अधिक सामग्री की खपत करने के लिए सक्षम अधिकारी	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि सडकों के रख-रखाव व सतह भरने के आक्लनों की स्वीकृति के लिए अधिशासी अभियन्ता ही सक्षम होता है तथा सडकों के रख-रखाव व सतह भरने इत्यादि का कार्य भी अधिशासी अभियन्ता के आदेशों एंव कार्यस्थल की स्थिति के अनुसार ही किया जाता है जो सड़कों की मुरम्मत व रख-रखाव के लिए अनिवार्य

	की अनुमति ली गई थी और क्या आक्लनों में ऐसा प्रावधान किया गया था।	होता है।

Settled

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

17	***5.3* सामग्री उर्पाजन व वितरण में अनियमितताएंः** समिति का मत है कि पैरे में दर्शाई गई अनियमितताएं उस वर्ष में उपलब्ध धन का प्रयोग करने हेतु की गई है जो नियमों के अनुरुप नहीं है के बारे पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए यह भी सूचित करें कि स्टेट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एंव निर्यात निगम के पास	इस विषय में विभाग ने सूचित किया है कि विभाग द्वारा जो विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष की धन उपलब्धता के अनुसार सामग्री की बुकिंग की गई वह व्यवहारिक रुप से उन कार्यों को सुचारु रुप से पूर्ण करने के लिए जरुरी सामग्री की बुकिंग की गई । जिसे विभाग ने चल रही प्रक्रिया के अनुरुप किया गया तथा नियमों के विपरीत ठहराना उचित नहीं होगा । क्योंकि इस प्रक्रिया का आश्रय विशेष कर कार्यों की प्रगति एंव स्थानीय जनता को समयानुसार लाभ पंहुचाने अथवा जनहित के लिए काफी लाभदायक सिध्द समझी गई है।

	बकाया राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति क्या है।	स्टेट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एंव निर्यात निगम के पास बकाया राशि के विरूध्द सामान (स्टील व सीमेंन्ट) प्राप्त कर समायोजित किया जा चुका है ।

अग्रेत्तर समीक्षा

settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

18	***5.4* भण्डार की न्यूनता/ भण्डार न सौंपना :** समिति जानना चहाती है कि विभागीय अधिकारी की लापरवाही तथा ढील के कारण सरकार को लाखों रुपये का नुक्सान सहन करना प़डा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन अधिकारियों से नरम रवैया अपनाने के	विभाग ने सूचित किया कि पूर्ण जांच करने के पश्चात दोनों दोषी अधिकारियों से केवल ₹ *20,682/-*व ₹ *12,724/-* की सामग्री की कमी पाई गई है जिसकी वसूली की जा चुकी है । चार्जशीट करने से पूर्व प्रक्रिया/औपचारिकताओं को पूर्ण करने में लगे समय के कारण ही चार्जशीट जारी करने में विलम्ब हुआ तथा किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही नहीं की गई है।

	कारणों से समिति को अवगत करवाया जाए। समिति इस बात पर आश्चर्य प्रकट करती है कि कनिष्ठ अभियन्ता को चार्जशीट करने में ही तीन वर्ष से ऊपर का समय लगाया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुध्द कार्रवाई करने में असामान्य विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण दिया जाए तथा जिम्मेवारी निर्धारित कर कृत कार्रवाई से अवगत करवाया जाए।	

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।**

19	**4.1.5 वित्तीय परिव्यय:** समिति विभागीय स्पष्टीकरण के सिफारिश करती है कि बकाया लेनदारी के संदर्भ में अविलम्ब रिकनसाईलेशन किया जाए तथा बकाया राशि को केन्द्र सरकार से शीघ्र वसूल करने हेतु प्रयत्न किए जाएं और भविष्य हेतु नेशनल हाई-वे की सडकों पर कार्य तभी आरम्भ किया जाए जब पैसा केन्द्र सरकार से प्राप्त हो ताकि राज्य सरकार के बजट को डाईवर्ट न किया जाए। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि परिवहन मन्त्रालय द्वारा	विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2007-08 तक अस्वीकार रोके गए दावें महालेखाकार, हि0 प्र0, शिमला के अ0ष्शा0 पत्र दिनांक 3-3-2011 द्वारा ₹ 56.88 करोड समायोजित कर दिये है जो 3054- 03-103-06-21 मुख्यशीर्ष के नाम डाल दिये है।

	अस्वीकृत अथवा रोकी गई धन-राशियों को निर्मुक्त करने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर व्यक्तिगत रूचि लेकर समयबध्द कार्यक्रम बनाकर निश्चित अवधि में प्राप्त करके प्रगति बारे अवगत करवायें। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि भविष्य में जो भी नए नेशनल हाई-वे रोड घोषित हो उनकी उपयुक्तता का पूर्ण अद्यतन करने एवं आवश्यकता को मध्यनजर रखकर ही नेशनल हाई-वे घोषित किया जाए तथा राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हो उसी	

	अनुरूप कार्य किया जाए तथा राज्य सरकार भी राशि को डाईवर्ट करने पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

20	*4.1.5* (II) (क): समिति **बिलासपुर मण्डल-II** के अन्तर्गत सडकों के नवीनकरण से सम्बन्धित कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए यह जानना चाहती है कि ₹ *19.65* लाख की राशि अब अनुमोदित कार्यों पर खर्च कर ली गई है या	इस संदर्भ में विभाग ने सूचित किया कि बिलासपुर मण्डल-II के अन्तर्गत सडकों के नवीनकरण से सम्बन्धित कार्यों पर ₹ 19.65 लाख की राशि अनुमोदित कार्यों पर खर्च कर ली गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सामग्री जो कि इस कार्य के लिए बुक की गई थी, इसी कार्य पर लगाई/प्रयोग की गई है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता हि*0* प्र*0* लोक निर्माण मण्डल बिलासपूर-*2* द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाती है।

	नहीं। समिति को इन मामलों में मंत्रालय से अनुमोदित संस्वीकृति प्रस्तुत करते हुये इन निर्माण कार्यों के लिए बुक किए गए मैटीरियल प्रयुक्तता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।	

अग्रेत्तर समीक्षा

settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

21	***4.1.7:* कार्यों का निष्पादनः** ***(1)* कार्यों के प्रारम्भ करने में विलम्बः** **(क)(ख)** समिति विभागीय स्पष्टीकरण से सहमत नहीं है विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन में हुई देरी के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर	इस सम्बन्ध में विभाग माननीय समिति से पूर्णतय सहमत है कि लॉजिक नियमों के उल्लघंन की इजाजत नहीं देता परन्तु प्रशासनिक अनुमोदन के प्राप्त होने के पश्चात संहिता/नियमावली के अनुसार प्रावधित औपचारिकताओं के पूर्ण करने में अधिक समय लगने के कारण कार्यों के निष्पादन में देरी हुई है। यद्यपि भविष्य में इस प्रवृति की

	स्न्तोषजनक नहीं है। समिति समझती है कि लॉजिक नियमों के उल्लंघन की 49ईजाजत नहीं देगा। समिति इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में पुनः स्पष्टीकरण चाहेगी।	पुनरावृति न करने तथा जहां नियमों का उलंघन हुआ है में नवीन स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग के समस्त वृतों/मण्डलों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्पष्ट में यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त कार्य निर्धारित अवधि में प्रारम्भ/पूर्ण कर लिए जाएं।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

22	***4.1.7 (ii)* प्राक्कलन के प्रति आधिक्यः** समिति सिफारिश करती है कि लम्बे समय से लम्बित संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के मामलों को यथाशीघ्र सम्बन्धित मन्त्रालय	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि जोगिन्द्रनगर के तीनों कार्यों में भूतल परिवहन मन्त्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। कांग़डा तथा ठियोग मण्डलों के तीन मामलों में धन पहले ही व्यवस्थित किया जा चुका है। शिमला मण्डल-2 व कुल्लु मण्डल-2 से सूचना अपेक्षित है। राश्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्यों को नियमानुसार समय पर

	से निपटाया जाए ताकि सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को नियमित किया जा सके।	निपटाने के लिए स्वतन्त्र मुख्य अभियन्ता की नियुक्ति की गई है तथा अलग से वृतों/मण्डलों का सृजन किया जा चुका है जिस कारण इस प्रकार के मामले सामने नहीं आ रहे है। यद्यपि सिफारिश अनुसार समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्रवाई अमल में लाने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

23	*4.1.7 (iii)* **कार्यो का विखण्डनः** **(क) (ख)** समिति जानना चाहती है कि कार्यों के विखण्डन सम्बन्धी नियम जनहित को मध्यनजर रखते हुए बनाए गए हैं। अतः स्थिति स्पष्ट करें कि कार्य का विखण्डन किस हालात में	विभाग ने सूचित किया कि यह सही है कि कार्यों के विखण्डन सम्बन्धी नियम जनहित को मध्यनजर रखते हुये बनाये गये है। यह कार्य पुरानी सडकों को रा0उ0मा0 में बदलने का दूसरा चरण था। पहाडी क्षेत्र होने के कारण यह कार्य भारी जोखिम भरा था इसलिए पूरे कार्य को कोई भी एक ठेकेदार करने के लिए सहमत नहीं था जोकि विखण्डन का मुख्य कारण रहा है। अतः यह मामला भूतल एंव परिवहन मन्त्रालय के समक्ष अधिकारियों के ध्यान में लाया गया तथा समय-2 पर

	करना पड़ा। लेखा आपत्ति में इंगित किया गया था कि सम्बन्धित सड़क के तलछट छूडकाव निर्माण कार्य के पश्चात् तारकोलीय कार्य से पक्का किए बिना सड़क को यातायात के लिए खोले जाने से सड़क की उपरी सतह भारी यातायात तथा वर्षा ऋतुओं में पानी रिसने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई जिसके पुनरूद्वार के लिए विभाग को अतिरिक्त परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा। इस लेखा आपत्ति के दृश्टिगत विभाग ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। वस्तुस्थिति से अवगत	संयुक्त निरीक्षण भी करवाया गया। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि भारी वर्षो से हुई क्षति का प्रत्यार्पण प्राक्कलन के अन्तर्गत किया जाए। अतः दो कार्यों को विभागीय मजदूरों द्वारा करवाना पड़ा। उक्त कार्य को पूर्ण करने व यातायात बहाल करने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इन परिस्थितियों में सभी पहलूओं को मध्य नजर रखते हुये बी0एस0यू0जी0 का कार्य विभागीय मजदूरों द्वारा करवाने का निर्णय परिवहन मंत्रालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् किया गया। जिसके लिए विभागीय मशीनरी को प्रयोग में लाया गया व जनहित में कार्य को पूर्ण किया गया।

	करवाया जाए।	

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

24	*4.1.7 (iv)* **परामर्शीय नियुक्तिः** (क) समिति लेखा परीक्षा की आपत्ति के मध्यनजर परामर्शक से पूर्व पात्रता दस्तावेज तथा निविदा विवरण समय पर प्रस्तुत न करने के कारणों बारे जानना चाहती है। परियोजना के तैयार करने में विलम्ब के विभाग द्वारा जो कारण बताए गए हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि कुल्लू तथा मण्डी सम्पर्क मार्गों पर पड़ने वाले तीन पुलों के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत परियोजना तैयार करने हेतु मैसर्ज कनसर्टिंग इंजीनियरिंग, नई दिल्ली को दिया गया । उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया डिजाईन स्थान विशेष के लिए बहुत ही योग्य/उपयुक्त पाया गया । क्योंकि ये डिजाईन बहुत ही सौंदर्य भारत/कला से परिपूर्ण एंव चारों ओर के वातावरण से मेल रखते थे । यहीं कारण है कि भारत सरकार के वार्षिक योजना में सम्मिलित किए जाने के पश्चात व्यास नदी पर रामशीला, पार्वती पर जिल्पा पुल के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति के प्राप्त करने के प्रयत्न किए गए थे विस्तृत परियोजना तैयार करने में विलम्ब निम्न कारणों से हुआ :-

	परियोजना की तैयारी के सम्बन्ध में अपने विलम्ब की जिम्मेदारी को अपने उपर न लेकर प्रशासनिक विभाग पर डालने का प्रयत्न किया है। इस बारे पुनः स्पष्टीकरण दिया जाए।	1- सम्पर्क मार्गों के निर्माण के प्रति पर्यावरण सम्बन्धी निकासी की आवश्यकता महसूस की गई थी जिसके लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं था। 2. कनसर्टिंग इंजीनियरिंग को विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था जिसके आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति प्राप्त की जा सके । इसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कुल्लू सम्पर्क मार्ग के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अतः इस तरह परियोजना रिपोर्ट के विलम्ब से प्रेषित किये जाने के कारण पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ करना प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि कार्य तो केवल प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति प्राप्त होने तथा प्रदेश में चल रहे कार्यों के लिए पर्याप्त बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

25	*4.1.7 (iv)* (ख) समिति जानना चाहती है कि मन्त्रालय के अनुदेशों के अनुरूप सम्भाव्यता अध्ययन के लिए परामर्शक की नियुक्ति कार्य आरम्भ करने से पूर्व किन कारणों से नहीं की गई। समिति यह भी सिफारिश करती है कि भविष्य में परामर्शक की नियुक्ति एवं रिपोर्ट की प्राप्ति कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करते हुये उक्त विषय के संदर्भ में परामर्शक द्वारा उपलब्ध करवाई गई रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित की जाए। साक्ष्य के दौरान विभागीय सचिव ने आश्वासन	इस सम्बन्ध में विभाग ने लिखित उत्तर द्वारा सूचित किया कि परामर्शक की नियुक्ति केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्भव होती है । पठानकोट-चक्की-मण्डी सडक को चौडा करने का कार्य केन्द्रीय सरकार जल-भूतल मन्त्रालय ने वर्ष 1994 में सम्भावः अभियान हेतु परामर्शक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा परमर्शक द्वारा अगस्त *1997* में जो रिपोर्ट बनाई गई है , उक्त रिपोर्ट के प्रति भाग - 1व 2 ड्राईगं सहित माननीय समिति के अवलोकनार्थ (बी०/1 से बी०/3) प्रस्तुत की जाती है , भविष्य में माननीय समिति की सिफारिशों की पूर्णतयः अनुपालना की जायेगी ।

	दिया था कि परामर्शक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट समिति के अवलोकनार्थ प्रेषित की जाए परन्तु 7 महीने का समय व्यतीत हो जाने पर भी विभाग उक्त रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवा सका। समिति अवगत होना चाहती है कि किन कारणों से उक्त रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।	

अग्रेतर समीक्षा

परामर्शक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न नहीं की है। अतः उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि इस पैरे पर समिति अपना अभिमत दे सके।

26	*4.1.7 (v)* **चट्टान कटान**	

	कार्य- उपयोगी पत्थरों की कम आपूर्ति/ आपूर्ति न करना: (क) समिति इस सम्बन्ध में अनुशंसा करती है कि विभागीय सचिव स्वंय अपने स्तर पर इस मामले की पुनः छानबीन करके वसूल की जाने वाली राशि का सही ब्यौरा प्रेषित करें। समिति को कृत कार्रवाई से एंव न्यायालय के निर्णय से भी अवगत करवाया जाए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि अनुबन्ध की शर्त के अनुसार वसूली पत्थर का *1/3* भाग का ₹ *44/-* प्रति घन मीटर की दर से किया जाना है जो कि *pro rata* आधार *38,430* घन मीटर का ₹ *65,175* बनता है जिसकी वसूली कर दी है। विभाग द्वारा अनुबन्ध के सामान्य शर्तों के क्रमांक *16* के अनुसार अधिकृत भाग से निकाले गए पत्थरों की वसूली ₹ *671164/-* हेतु मामला विवाचक एवं अधीक्षण अभियन्ता, दशम् वृत बिलासपुर के समक्ष काउंटर कलेम द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है जिसका विवाचक से निर्णय अपेक्षित है।

अग्रेत्तर समीक्षा

समिति को विवाचक के निर्णय से अवगत करवाया जाए।

27	*4.1.7 (v) (ख)* समिति सिफारिश करती है कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं से प्रयोज्य पत्थरों की कम आपूर्ति के लिए सम्बन्धित ठेकेदारों से तुरन्त वसूली करने हेतु प्रभावी पग उठाकर वसूली शीघ्र करके नवीनतम स्थिति दर्शाते हुये भवष्यि हेतु ठेकेदार से प्रयोज्य पत्थरों की मात्रा का सही अनुमान लगाकर चालू बिलों से वसूली सुनिश्चित करने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि ठियोग मण्डल द्वारा अभी अनुपालना सूचित नहीं की है। रा0उ0मा0 रामपुर मण्डल का एक कार्य मै0 कलकता कन्सट्रक्शन कम्पनी को अवार्ड किया गया था। ठेकेदार से ₹ 2.65 लाख के पत्थरों की वसूली दर्शाई गई है लेकिन उससे ₹ 3.66 लाख की वसूली की जानी थी। ठेकेदार अधूरा कार्य करके चला गया तथा पत्थरों की पूर्ण वसूली नहीं की जा सकी थी। विभाग द्वारा उपरोक्त ठेकेदार का कार्य घारा-3 के अन्तर्गत कम्पनसेशन लगवा कर बन्द कर दिया और लेनदारी हेतु विभाग ने विवाचक में याचिका दर्ज की तथा विवाचक ने विभाग के पक्ष में ₹ 934276/- का अवार्ड दिया। ठेकेदार से उक्त राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है जिसमें निर्णय अपेक्षित है। में माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिश अनुसार कार्रवाई अमल में लाने हेतु समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

अग्रेत्तर समीक्षा

ठेकेदार से वसूली के सम्बन्ध में समिति को न्यायालय के निर्णय से अवगत करवाया जाए।

28	*4.1.7 (vi)* **आयोजना का अभावः** **(क)** समिति ने जानना चाहा कि ठेकेदार द्वारा नरम भाग की कटाई करने और कठोर भाग को छोडने की प्रक्रिया को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है के बारे विभागीय प्रतिनिधि ने बतलाया कि इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ताकि भविष्य में कार्य पूर्ण रूप से किए जाएं। जो ठेकेदार ठीक तरह से कार्य नहीं करेंगे, उनका नाम काली सूची में इन्द्राज कर दिया जाएगा। समिति जानना चाहती है कि विभाग ने ठेकेदार को क्यों नरम भूमि का ही कटान करने दिया और कठिन कार्य नहीं किया। जिन कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही से ठेकेदार को ऐसा करने	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि ठेकेदार द्वारा शिमला बाईपास का निर्माण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही कार्य किया है तथा लगातार हिस्सों में कटाई का कार्य किया गया था। कुछ जगहों जहां पेड़ों को काटा जाना था टैलीफोन/बिजली के खम्बों को हटाया जाना था उन जगहों पर ही कार्य नहीं हुआ था तथा जैसे-जैसे व्यवधान हटते गए, ठेकेदार द्वारा छोडे गए स्थानों पर भी कार्य पूर्ण कर लिया था। अन्त में ठेकेदार द्वारा एक किलोमीटर लम्बाई वाले भाग में कार्य नहीं किया था जिसके लिए विभाग द्वारा ठेके को निरस्त कर विभाग के पास जमा सिक्योरटी की राशि जब्त कर ली गई। अतः इन परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी /अधिकारी की लापरवाही नहीं कही जा सकती। निर्देश में इस प्रवृति को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-2 पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं तथा नवीनतम निर्देशों की प्रति संलग्न की जाती है। जैसा कि पहले ही सूचित किया गया है कि ठेकेदार आरबिट्रेशन में चला गया है। अब उक्त बाई पास का कार्य पूर्ण

	दिया, उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, अवगत करवाएं। समिति विभाग को हुई क्षति की पूर्ति हेतु किए गए उपायों से भी अवगत होते हुए सिफारिश करती है कि भविष्य में ऐसी कोताही की पुनरावृति न हो के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जाएं।	किया जा चुका है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

29	**पैरा** *4.1.7 (vi)*(**ख**) समिति जानना चाहती है कि विवाचन का फैसला जुलाई, *1997* में प्राप्त होने के फलस्वरूप अभी तक भी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरूध्द कार्यवाही किन कारणों से	इस विषय में विभाग ने सूचित किया कि यह मामला अभी उच्च न्यायालय में चल रहा है जिसका निर्णय अभी तक अपेक्षित है । मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग, लोक निर्माण विभाग अनुसार विवाचक के *1997* के फैसले के अनुसार अवार्ड की गई राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा मामला न्यायालय में

	नहीं की गई । इस देरी के बारे स्पष्टीकरण दिया जाए। समिति अनुशंसा करती है कि सम्बन्धित मामले में अन्तिम कार्रवाई पूरी हो जाने पर मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए ।	लम्बित होने के कारण किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी करार नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में माननीय समिति को नवीनतम स्थिति से न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर अवगत करवाया जावेगा ।

अग्रेत्तर समीक्षा

नवीनतम स्थिति बारे समिति न्यायलय के निर्णय से अवगत होना चाहेगी।

30	***4.1.7 (vi) (ग)*** समिति सर्वप्रथम जानना चाहती है कि जहां-2 पर ठेकेदार ने कार्य नहीं किया और वन विभाग ने कार्य को रोका है, उस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या मामला वन विभाग से	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि रामपूर मण्डल से प्राप्त सूचना अनुसार जहां-2 पर ठेकेदार ने कार्य नहीं किया वहां वन विभाग द्वारा मौखिक रूप में कार्य को रोका गया था। वन विभाग से लिखित रूप में कोई पत्राचार नहीं हुआ है । इसी बीच ठेकेदार कार्य छोडकर चला गया तथा इस कार्य को दूसरे ठेकेदार से करवाया गया था सडक को वाहन योग्य तैयार कर दिया गया ।

	उठाया था, यदि हां तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज समिति को अवलोकनार्थ प्रेषित किए जाएं। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की धाराओं का उल्लंघन करने पर विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में वांछित कारवाई नहीं की गई है, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए।	जहां तक ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की धाराओं का उल्लघंन करने का प्रश्न है के लिए ठेकेदार की सिक्यूरिटी जब्त की गई है तथा अनुबन्ध की धारा-*3* के तहत कार्रवाई करके पैनल्टी लगाई गई है। जैसा कि पहले ही सूचित किया गया है कि ठेकेदार ऑरबिट्रेशन में चला गया है तथा निर्णय बारे सम्बन्धित मण्डल से सूचना अपेक्षित है जिसे शीघ्र माननीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

अग्रेतर समीक्षा

समिति जानना चाहती है कि ठेकेदार से अनुबन्धों की धाराओं का उल्लंघन करने पर कितनी सिक्योरिटी जब्त की गई है तथा कितनी पैनल्टी लगाई गई है पूर्ण विवरण समिति को प्रस्तुत किया जाए। समिति को ऑरबिट्रेशन के निर्णय से भी अवगत करवाया जाए।

31	***4.1.7 (vi) (घ):*** समिति जानना चाहती है कि कटान कार्य में की गई	इस विषय में विभाग ने सूचित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-*22* के

	तबदीलियों को सम्बन्धित कार्य की मूल ड्राईंग बनाते समय ध्यान में किन कारणों से नहीं रखा गया। समिति इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि सड़क के कुछ भाग में तो 84 प्रतिशत अधिक कार्य हुआ और जहां सख्त चट्टानें थी उस भाग पर केवल 56 प्रतिशत ही कुल कटाई की गई। समिति सख्त चट्टान वाले भाग में 44 प्रतिशत कम कटान किए जाने के कारणों से अवगत होना चाहती है।	कि0मी0 200/0 से 205/0 पर जो कार्य स्वीकृत प्राक्कलन से परिवर्तित होकर किया गया है वह सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर किया गया है। कटान कार्य में की गई तबदीलियों को सम्बन्धित कार्य की मूल ड्राईंग बनाते समय इसलिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उस समय भूमि की प्रकृति बारे जानकारी उपलब्ध नहीं होती तथा इस प्रकार के निर्णय स्थल पर ही लिए जाने सम्भव होते हैं। विभागीय कार्रवाई स्वीकृत प्राक्कलन की अनुमानित राशि से सस्ता तथा शीघ्र पूर्ण होने वाला था जो कि विभाग के पक्ष में ही किया गया है। ऐसा इसलिए सम्भव हो पाया कि जिन जगहों पर कटान करके कम राशि व्यय कर सड़क को चौड़ा किया जा सकता था वहां कटान किया गया और जिन जगहों पर दीवारें लगाकर धनराशि बचाई जा सकती थी तथा कटान मंहगा पड़ता वहां-2 प्रतिधारक दीवारें लगाई गई है। विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई जनहित में अमल में लाई गई है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

32	4.1.7 (vi) (ड.): समिति इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहती है। समिति मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहती है। समिति जानना चाहती है कि विभाग द्वारा सम्बन्धित मामले के सम्बन्ध में ठेकेदार को अनुबन्ध के खण्ड 3 (ख) व ग के अन्तर्गत नोटिस किन कारण से नहीं दिया गया। समिति को स्थिति स्पष्ट करते हुए न्यायालय के निर्णय से अवगत करवाएं।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि तत्कालीन परिस्थितियों के मध्यनजर सक्षम अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार अनुबन्ध की शर्तों 2 व 3 (ए) के अन्तर्गत अनुबन्ध समाप्त किया गया है। ठेकेदार विभाग के इस निर्णय पर सन्तुष्ट नहीं था तथा मामले में ऑरबीट्रेशन की नियुक्ति की गई। आरबीट्रेशन का निर्णय वर्ष 2008 में प्राप्त हुआ तथा ठेकेदार को देय राशि मु0 96393/-रू0 का भुगतान भी कर दिया गया है। परन्तु ठेकेदार ऑरबीट्रेटर के निर्णय से भी स्पष्ट न होने के कारण उसके द्वारा माननीय हि0 प्र0 उच्च न्यायलय में मामला दर्ज कर दिया है। विभाग द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। उच्च न्यायलय द्वारा अक्तुबर 2012 में ऑरबीट्रेशन से सम्बन्धित रिकार्ड मांगा गया था जिसे नवम्बर, 2012 में उपलब्ध करवाया जा चुका है। माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात् आगामी कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

अग्रेत्तर समीक्षा

समिति न्यायालय के निर्णय एवं विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

33	*4.1.7 (vi)* (च): समिति जानना चाहती है कि सम्बद्ध मामले में ठेकेदार को नोटिस देकर अनुबन्ध के खण्ड *3* (ख) व (ग) को लागू न किए जाने के क्या कारण रहे हैं तथा उच्च न्यायालय के फैसले से समिति को अवगत करवाया जाए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि प्रभारी अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध के खण्ड *3* (ख) व (ग) के बजाय अनुबन्ध की खण्ड-*3* (क) *(2)* में निहित शक्तियो का जनहित में प्रयोग किया गया है जो कार्य को पूर्ण करवाने तथा मुवाबजे हेतु कम्पनशैसन और सिक्यूरिटि की राशि को सरकारी खाते में डालने बारे थी। इस सम्बन्ध में विभागीय कारवाई करने पर ठेकेदार द्वारा उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया जिसमें आए निर्णय अनुसार विभाग द्वारा विवाचक की नियुक्ति की गई। इस मामले में विवाचक द्वारा ठेकेदार के पक्ष में दिए गए निर्णय की प्रति संलग्न की जाती है। इस मामले में आगामी न्यायिक कार्रवाई सम्भव न होने के कारण ऑरबीट्रेटर द्वारा दिए गए अवार्ड अनुसार ₹*10]40]204@&* का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया है। अब इस मामले में कोई भी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

34	***4.1.7 (vii)* (क): समय सीमाओं की अनुचित वृद्धिः** समिति विभागीय उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि ठेकेदार ने एक तो पहले काम शुरू करने में दो मास का विलम्ब किया तथा उसके पश्चात् कार्य पूरा करने में एक साल की देरी की गई। समिति एक वर्ष की देरी को बर्फ तथा खराब मौसम के कारण उचित ठहराना न्यायसंगत नहीं मानती तथा चाहा है कि विभाग इस बारे	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि पैरे में विलम्ब के लिए लेखा परीक्षा द्वारा कार्य किया गया है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य-पूर्णता की तिथि तक समय सीमा की वृद्धि भारी वर्षा व खराब मौसम के आधार पर अनुमोदित की गई है। उक्त कार्य अगस्त *1988* में ठेकेदार को दिया गया था तथा उस समय वर्षा ऋतु समाप्त न होने के कारण मैटलिंग व टारिंग का कार्य आरम्भ करने में विलम्ब स्वभाविक था। तारकोल बिछाने का कार्य केवल गर्म व धूप वाले मौसम में ही सम्भव होता है तथा इस बारे कार्य अवधि ब्रढाने की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। यह मामला वर्ष *1988* से सम्बन्धित होने के कारण बहुत पुराना है तथा पैरे में लेखा परीक्षा द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनअभिलिखित

	स्पष्टीकरण दें।	कारणों से कार्य अवधि की स्वीकृति प्रदान की गई है, अब कोई कार्रवाई की जानी सम्भव नहीं है। यद्यपि भविष्य में समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कार्यों में होने वाले विलम्ब के कारणों बारे पूर्ण विवरण रखा जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसकी जानकारी उपलब्ध रहे। अतः समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये इस पैरे का समायोजन करने की कृपा करें।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

35	*4.1.7 (vii)*(ख): समिति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता के द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय जो कि अधीक्षण अभियन्ता की अनुमति से किया गया के विरूद्ध निर्णय देना उनकी शक्तियों के अतिक्रमण के	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि अधीक्षण अभियन्ता को क्लॉज नं*0:2* के अन्तर्गत कम्पनसेशन की राशि को कम या ज्यादा करने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। जहां तक कम्पनसैशन देने की बात है वह नियमानुसार तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तहत ही लगाया गया है जो कि वास्तविक है। अधीक्षण अभियन्ता न्याय सम्बन्धी शक्तियां भी रखता है तथा अपना निर्णय दोनों पक्षों को बुलाकर मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझा देता है। अतः संशोधित निर्णय न्यायसंगत है। अधिशासी

	तुल्य होगा के बारे स्पष्टीकरण चाहेगी तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किन कारणों से अपना पहला निर्णय बदला गया।	अभियन्ता द्वारा दिए गए निर्णय को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात पुनर्विचार के बाद बदला गया है जो किसी भी प्रकार से शक्तियों का अतिक्रमण नहीं है।

Settled

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

36	*4.1.7 (vii) (ग)*: समिति जानना चाहती है कि क्या ठेकेदार द्वारा कार्य करने हेतु समय वृध्दि मांगी थी यदि हां, तो उस पर उस समय क्या निर्णय लिया गया। समिति को यह भी बतलाया जाए कि समय वृद्धि	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि सम्बन्धित ठेकेदार ने कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि दिनांक *7.7.1992* को मांगी थी जिसे अधिशासी अभियन्ता रा*0*उ*0*मा*0* मण्डल सोलन के पत्र संख्या: *3857-58* दिनांक *14.9.1992* तक प्रदान की हे। उक्त ठेकेदार के पास कार्य करने हेतु विस्तृत क्षेत्र था जो उसे आवंटित किया गया था। इकरारनामें की सम्बन्धित धाराओं को समय-*2* पर अमल में लाया गया है। परन्तु

	संस्वीकृति प्रदान करने के समय विभाग द्वारा ठेकेदार से कोई कार्य सूची प्राप्त क्यों नहीं की गई, ठेकेदार ने नरम जगह वाली आर0डी0 पर कार्य निष्पादित करने बारे ठेकेदार को नोटिस जारी न करने के क्या कारण थे। समिति यह भी जानना चाहती है कि समय वृध्दि के दौरान कार्य की धीमी प्रगति हेतु ठेकेदार द्वारा मुआवजा उद्गृहित किन कारणों से नहीं किया गया। उन कारणों का ब्यौरा भी दें जिसकी वजह से निर्माण की अनुबन्धित अवधि के दौरान विभाग द्वारा	फिर भी उक्त ठेकेदार ने विवाचक के समक्ष अपना पक्ष रखा जो विभाग के पक्ष में दिया गया । तत्पश्चात् सम्बन्धित ठेकेदार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश शिमला-2 के समक्ष अपनी याचिका दायर की जो दिनांक 18.8.1999 को समाप्त हो गई । परन्तु फिर भी उक्त ठेकेदार ने दिनांक 18.8.1999 के निर्णय को पुनः निरीक्षण की अपील उच्च न्यायालय में दायर की है जो अभी तक अपेक्षित है ।

	ठेकेदार को सम्पूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध नहीं करवाए, जिससे उसे समय वृध्दि तथा लागत वृध्दि देनी प़डी।	

अग्रेत्तर समीक्षा

समिति उच्च न्यायालय के निर्णय से अवगत होना चाहेगी।

37	***4.1.7 (viii)* मुआवजे का उद्ग्रहण तथा ठेकों को रद्द करना:** **(क)** समिति उक्त तीनों मामलों में विवाचक द्वारा दिए गए निर्णय से अवगत होना चाहती है तथा ठेकेदारों से देय राशियों की वसूली हेतु क्या-*2* पग उठाए गए हैं।	इस विषय में विभाग ने सूचित किया कि रा*0*उ*0*मा*0* रामपुर मण्डल के अधीन निम्नलिखित तीन मामलों में विवाचक द्वारा दिए गए निर्णय के विरूध्द ठेकेदारों द्वारा न्यायालय में मामले दर्ज किए गए हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :- *1-* श्री मोहन कुमार , ठेकेदार - *8.40* लाखः इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि इस मामले में न्यायालय का अंतिम निर्णय अपेक्षित है।

		2- श्री वृजेन्द्रा सिंह एण्ड कम्पनीः *15.29* लाख रू*0:* इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि इस मामले में न्यायालय का अन्तिम निर्णय अपेक्षित है। 3- मैसर्ज कलकता कन्सट्रक्शन *5.64* लाख रू*0:* इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि इस मामले में न्यायालय का अन्तिम निर्णय अपेक्षित है। ठेकेदारों से देय राशियों की वसूली हेतु न्यायलय के निर्णयानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

अग्रेत्तर समीक्षा

ठेकेदार से देय राशियों की वसूली हेतु समिति को न्यायालय के निर्णय से अवगत करवाया जाए।

38	*4.1.7 (viii)* (ख):	
	समिति को विभागीय उत्तर से यह आभास हुआ कि आठ मण्डलों में *719.93* लाख रूपये	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि पैरे में सम्मलित किए गए मामलों जिनमें मुवाबजा उद्गृहित नहीं किया गया के सम्बन्ध में व्यक्त किया जाता है कि विभाग हर सम्भव प्रयत्नशील रहता है कि ठेकेदारों से उत्तम

	के दिए गए 21 कार्यो की प्रगति बहुत धीमी थी जिसे तेज करने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाए गए हैं और न ही अधिकतर मामलों में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की गई जो अपेक्षित थी। विभाग द्वारा जिन मामलों में मुआवजा उद्गृहित नहीं किया गया, उन मामलों में विभाग की अपनी ढील रही है। समिति उन सभी मामलों बारे जिनमें मुआवजा उद्गृहित नहीं किया गया की अनियमितताओं के कारण एंव विवाचक के पास लम्बित पड़े मामलों की	सम्भावित ढंग से कार्य करवाया जाए। इन मामलों में स्थल पर तकनीकी कारणों से निर्णय लिया गया है तथा कुछ मामलों में समयवृध्दि भी सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की गई है। कार्यों में हुआ विलम्ब केवल ठेकेदारों के स्तर पर ही नहीं परन्तु धन के अभाव, कई स्थानों पर कार्य स्थल का समय पर उपलब्ध न हो पाना भी रहता है। जैसे कि पहले भी माननीय समिति के ध्यान में लाया गया है विभाग को ठेकेदारों के प्रति कार्रवाई उसके द्वारा किए गए कार्यों के गुण व दोषों के मध्यनजर यह भी देखना आवश्यक रहता है कि विभागीय कार्रवाई के कारण ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कायों में अनावश्यक रूकावट न आए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मामले होने के कारण यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है कि ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के दौरान यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे। औचित्य के मध्यनजर मामलों में सक्षम अधिकारियों द्वारा समय वृध्दि स्वीकृत प्रदान करने के कारण मुआवजा उद्गृहित नहीं किया गया। यद्यपि भविष्य में इस प्रकार की प्रवृति को रोकने के लिए विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। विवाचक के पास लम्बित दो मामलों की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से है:-

	अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहेगी।	1- **बैजनाथ मण्डलः** जो अब राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, जोगिन्दरनगर से सम्बन्धित है में विवाचक कम अधीक्षण अभियन्ता, सोलन के पत्र दिनांक 22.9.98 के द्वारा ₹ 1,34,934/- का अवार्ड विभाग के पक्ष दिया गया है जिसे ठेकेदार द्वारा 26-08-2006 को न्यायलय में जमा करवाया गया है । 2- **ठियोग मण्डलः** इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि अब सडक का यह भाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल रामपुर के अधीन है। इस कार्य में ऑरबीट्रेशन मामले बारे विस्तृत उत्तर उपरोक्त पैरा सं0 4.1.7 (vi) (ङ) में दिया गया है ।

अग्रेत्तर समीक्षा

समिति न्यायालय के निर्णय से अवगत होना चाहेगी।

39	4.1.7 (viii) (ग): समिति सर्वप्रथम जानना चाहती है कि अनुबन्धित तिथि के दो वर्ष बाद भी कार्य पूरा न	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि उक्त ठेकेदार को सडक दुर्घटना में गम्भीर चोटें आई थीं तथा स्थिति ठेकेदार के नियन्त्रण से बाहर होने के कारण वह आगे का कार्य पूर्ण नहीं कर सका था तथा कार्य

	किए जाने पर कोई मुआवजा उद्गृहित क्यों नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर देने पर विभाग को अपने ही स्तर पर शेष कार्य पूर्ण करने पर कितनी अतिरिक्त लागत वहन करनी प़डी है।	को बन्द करना प़डा। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के मध्यनजर तत्कालीन सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत कार्य समय सीमा ब़ढाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसलिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा उद्गृहित नहीं किया जा सकता था। ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर देने पर विभाग को अपने स्तर पर शेष कार्य पूर्ण करने पर जो अतिरिक्त राशि खर्च करनी प़डी उसका ब्यौरा निम्नलिखित है:- आवंटित राशि *17,32,,947-00* शेष कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदार द्वारा नहीं किये गये कार्य की कुल लागत *6,12,229-00* विभाग द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय *6,79,081-00* भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति रोकने हेतु समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

40	***4.1.7 (ix)*** **<u>डिजाईन/विनिर्देशों</u> से विचलनः** (क) समिति जानना चाहती है कि कार्य करने से पूर्व स्प्रे ग्राऊट का प्रावधान कार्य के मूल प्राक्कलन में शामिल था तो इस बारे लेखा दल को लेखा परीक्षा के समय अवगत किन कारणों से नहीं किया गया। यदि स्प्रे ग्राऊट बिछाने के प्रावधान का अनुमोदन बाद में किया गया तो किस अधिकारी द्वारा यह प्रावधान अनुमोदित किया गया स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाई जाए।	इस विषय में विभाग ने सूचित किया कि स्प्रे ग्राउट बिछाने का प्रावधान मूल प्राक्कलन के आइटम/संख्या नं*0: 3* में दर्शाया गया था। इस आईटम का प्रावधान लेखा परीक्षा के समय न दिखाए जाने बारे इतने विलम्ब के बाद सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है जिसके लिए खेद व्यक्त किया जाता है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न करने के लिए सम्बन्धित मण्डल को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिलासपूर मण्डल-*2* से प्राप्त प्राक्कलन की सत्यापित प्रति जिसमें स्प्रे ग्राउट का प्रावधान दिखाया गया है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

41	*4.1.7 (ix)* (ख): समिति समझती है कि विभाग द्वारा सम्बन्धित सडक पर बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट को अन्तिम तह कोट से तुरन्त आवृत न किए जाने तथा ऐसा किए बिना यातायात के लिए खोल देने के सम्बन्ध में तर्क संगत कारण नहीं बताए हैं। समिति इसका स्पष्टीकरण चाहेगी। समिति यह भी जानना चाहती है कि जब बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट करने के लिए	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि विभाग द्वारा सम्बन्धित सडक पर बिल्ट-अप स्प्रे ग्राऊट को अंतिम रूप से पूर्ण किये गये बगैर विभाग ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग-*21* सामरिक की महता को देखते हुये यातायात को खोलने का निर्णय लिया क्योंकि यह सडक देश की रक्षा के कारणों से अति संवदेनशील है तथा इस मार्ग के अतिरिक्त दूसरा मार्ग निर्मित नहीं था। अतः उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये यातायात का खोलना पूर्ण रूप से जनहित में आवश्यक था।

	यातायात को रोका जा सकता था तो सील कोट करने के लिए यातायात को क्यों नहीं रोका या डाईवर्ट किया गया।	

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

42	*4.1.7 (ix)* (ग): समिति जानना चाहती है कि विभाग द्वारा बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट को अन्तिम तह से आवृत करने में विलम्ब के कारण क्यों नहीं बतलाए गए हैं, जबकि समिति समझती है कि यातायात में फेरबदल करके बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट	इस विषय में विभाग ने सूचित किया कि सुन्दरनगर में भारी एवं उचित ट्रैफिक होने के कारण तथा अलटरनेटिव मार्ग न होने के कारण यातायात में फेरबदल सम्भव नहीं हो सकता था और जगह की वास्तविक स्थिति को देखते हुए कार्य को अन्तिम रूप दिया गया। सील कोट साथ-साथ नहीं होने का कारण वर्षा ऋतु तथा तापमान में कमी होना रहा था जहां तक बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट की मोटाई की जांच कार्यकारी अभियन्ता द्वारा कार्य को अन्तिम रूप देने से पूर्व की जाती है तथा उसी के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। इस सम्बन्ध

	किया जा सकता था तो उसी प्रकार सील कोट क्यों साथ-2 नहीं किया गया जबकि मन्त्रालय के इस सम्बन्ध में निर्देश थे तो सीलकोट करने का प्रावधान प्राक्कलन में क्यों नहीं किया गया था। समिति बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट में प्रयुक्त एग्रीगेट का श्रेणीकरण मन्त्रालय के विनिर्देशों के अनुरूप न करवाए जाने के सम्बन्ध में विभाग से स्पष्टीकरण चाहती है क्योंकि बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट के साथ पक्का किए गए कार्य की उपरोक्त अनियमितताओं की दृष्टि से घटिया होने के कारण	में अलग से कोई जांच नहीं की गई थी तथा इतने लम्बे समय के बाद इस प्रकार की कोई जांच सम्भव नहीं है।

	फार्मुला बिलासपुर मण्डल में क्यों नहीं लगाया गया । समिति समझती है कि इन केसों के द्वारा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है। समिति को इन मामलों में विभाग द्वारा बनाए गए मानक मान्य नहीं है, क्योंकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाए गए मानक जो हिमाचल प्रदेश मानक अनुसूची दर के आधार पर तैयार किए गए सम्बन्धित कार्यों के संस्वीकृत प्राक्कलनों पर आधारित है से मेल नहीं खाते हैं। इस तरह हिमाचल प्रदेश मानक अनुसूची दर के आधार पर मानकों के मुताबिक विभाग द्वारा कार्य न करवाए जाने के कारण तारकोल के कम प्रयोग से घटिया कार्य का निष्पादन हुआ है । समिति सिफारिश करती है कि तारकोल के कम प्रयोग से जो घटिया काम हुआ है उसकी जांच करके अवगत करवाएं कि इस	*500.18* के प्रावधान अनुसार सही है। अतः घटिया कार्य का निष्पादन नहीं हुआ है ।

	घटिया काम के क्या-2 कारण हैं तथा जहां-2 तारकोल की मात्रा के प्रयोग में एस्टीमेट और एग्जीक्यूशन में भिन्नता पाई है उस भिन्नता बारे भी विस्तृत रिपोर्ट समिति की संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाई जाए।	

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

44	***4.1.7 (xi)*** **टैक कोट का परिहार्य उपयोगः** समिति जानना चाहती है कि मन्त्रालय के विर्निदेशों अनुरूप ठेकेदार से करारनामा किन परिस्थिति में नहीं किया गया, जिससे यातायात को नियमित करना ठेकेदार का	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि नियमानुसार तारकोल मैकेडम में बिना किसी विलम्ब के अंतिम सतह जुडाई जानी होती है। इसे यातायात के लिए खोलने से पूर्व सीलकोट के साथ जोड दिया जाना वांछित है, परन्तु हिमाचल प्रदेश एक पहाडी राज्य क्षेत्र है तथा सडक तंग होने की वजह से किसी प्रकार की अतिरिक्त डाईर्वश्न एक तरफ पहाडी व दूसरी तरफ अत्यधिक ढलान के कारण नहीं दिया जा सका तथा

	दायित्व बनता । साथ ही जब विभाग के पास एक ही हॉटमिक्स प्लांट था तो इसे ठेकेदार को उपलब्ध करवाने हेतु करारनामा क्यों किया गया इस कोताही बारे विस्तृत विवरण समिति की संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाया जाए ।	यातायात को भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग से अवरूद्ध करना असम्भव है तथा उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अंतिम सतह को जुडाने से पहले टैक कोट करने की स्वीकृति भूतल परिवहन मंत्रालय से प्राप्त कर ली गई थी ।

अग्रेतर समीक्षा

ठेकेदार को हॉटमिक्स प्लांट उपलब्ध करवाने बारे किए गए करारनामा की प्रति समिति के संवीक्षार्थ प्रस्तुत की जाए तथा इस कोताही बारे विस्तृत विवरण समिति के संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाई जाए।

45	***4.1.7 (xii)* बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट से मार्ग समतल करना:** समिति समझती है कि	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि यह सही है कि भूतल

	विभाग द्वारा दिया गया उत्तर एंव स्पष्टीकरण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विभाग द्वारा बिल्ट अप स्प्रे ग्राऊट से सडक के समतल का कार्य परिवहन मन्त्रालय के मार्ग दर्शनों के विपरीत करवाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विभाग से पुनः विस्तृत स्पष्टीकरण चाहती है।	परिवहन मन्त्रालय द्वारा समय-2 पर सामान्य मार्ग दर्शन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाते हैं। परन्तु इन्हें व्यवहारिकता एंव मित्व्ययता के आधार पर सभी स्थानों व परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा कार्यों को सभी स्थानों व परिस्थितियों के मध्यनजर भूतल मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों में किए गए प्रावधानों के अनुसार ही बिल्टअप स्प्रे ग्राउट से सडक के समतल का कार्य किया जाता है। विभाग का हर सम्भव यह प्रयास रहता है कि मन्त्रालय के दिशा निर्देशों की अवहेलना किसी भी दशा में न की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में भूतल परिवहन मन्त्रालय द्वारा भी कोई आपति नहीं उठाई गई है।

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

46	***4.1.7 (xiii)*** रोड रोलर से कम संघटनः समिति का मानना है कि जब विभागीय रोड रोलर को	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि यह सही है कि ठेकेदार के कार्यों में उचित संघटन हेतु रोड रोलर को *2872* घण्टे तक चलना था

	2832 घण्टे चलाना अपेक्षित था तो यह मात्र 809 घण्टे ही चलाया गया तथा बाकि समय के लिए ठेकेदार ने अपने रोड रोलर का प्रयोग किया जबकि अधिशासी अभियन्ता ने नवम्बर, 1994 में कहा था कि इस विषय में मानकों के अनुसार कार्य करना सम्भव नहीं था। समिति को दोनों उत्तरों में विरोधाभास होने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचित करें कि विभाग ने कोई रिकार्ड रखा है जिससे यह पता चल सके कि इस कार्य पर ठेकेदार ने रोड रोलर का कितना प्रयोग किया यदि हां तो	। 2872 घण्टे में जिसमें से 2063 घण्टे ठेकेदार ने अपने रोड रोलर से कार्य किया। शेष अवधि 809 घण्टे के लिए विभागीय रोड रोलर से कार्य किया गया जिसके लिए वसूली ठेकेदार से कर ली गई थी। ईकरारनामें की शर्तों अनुसार ठेकेदार द्वारा विभागीय रोड रोलर प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था।

	छायाप्रति उपलब्ध करवाएं अन्यथा यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि सडक का सही संघटन किया गया।	

अग्रेतर समीक्षा

समिति जानना चाहती है कि ठेकेदार द्वारा रोड़ रोलर 809 घण्टे चलाने पर कितनी वसूली की गई।समिति को पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं करवाए गए, स्थिति स्पष्ट की जाए।

47	***4.1.8* निर्माण कार्यों का अनुरक्षण:** ***(1)* आवधिक नवीनकरण** समिति जानना चाहती है कि निर्देशों के अनुसार सडकों का, स्थिति सर्वेक्षण न कराने एंव उन मार्गों का नवीनकरण करवाना जिनके लिए परिवहन मंत्रालय का	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि मार्गों के नवीनीकरण हेतु भूतल परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा प्रपोजल हर वर्ष के एनुअल प्लान हेतु मंगवाया जाता है और उन कार्यों को आर0 ओ0 चण्डीगढ द्वारा सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्राक्कलन जो इस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है उनके मारफत भूतल परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार को प्रशासनिक अनुमोदन हेतु भेजा जाता है तथा उस के अनुसार ही कार्य

	अनुमोदन प्राप्त नहीं था और उन मार्गों को बिना नवीनीकरण के रखना जो मंत्रालय से अनुमोदित थे, नियमों के विरूध्द तथा कुव्यवस्था का प्रमाण नहीं । अतः समिति सिफारिश करती है कि उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये भविष्य के लिए सडकों के नवीनीकरण हेतु सडकों का सर्वेक्षण तथा इस सम्बन्ध में सुव्यवस्थित कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा उठाए गए कदमों बारे सूचित किया जाए।	किया जाता है । भविष्य में माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों की अनुपालना हेतु समय-समय पर अधिकारियों को सावधिक बैठकों के दौरान निर्देश दिए जाते रहे हैं।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

48	***4.1.8 (ii) (क)*: नवीनीकरण विनिर्देशों का पालन न करना:** समिति जानना चाहती है कि सड़क के नवीनीकरण में "एक समय में बिछाई गई एक तह" के साथ प्री-मिक्स कारपेट बिछाने की पद्धति जो किफायती तथा मंत्रालय द्वारा मान्य थी की पद्धति द्वारा कार्य न करवाने के कारण सूचित किए जाएं, जिसके फलस्वरूप ₹ *16.02* लाख का परिहार्य व्यय हुआ । समिति यह भी जानना चाहती है कि जब एक मण्डल में मशीनरी उपलब्ध न थी तो उसे दूसरे मण्डल से क्यों नहीं मंगवाया गया या फिर कार्य को ठेकेदार द्वारा किन कारणों से	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ही प्रीमिक्स कारपेट अथवा सीलकोट को बिछाकर नवीनीकरण किया जाता है । मण्डल के अधीन प्लांट एक स्थान पर लगाया जाता है जिसे दूसरे स्थान पर खोलकर ले जाना व पुनः स्थापित करने में काफी समय लग जाता है जो व्यय व समय को देखते हुए उचित नहीं होता है। प्रदेश में सीमित कार्य अवधि रहने के कारण अन्य मण्डलों में स्थित प्लांट तारकोल बिछाने मे व्यस्त रहते है इसलिए दूसरे मण्डलों से मशीनरी नहीं मंगवाई जा सकी ।

	नहीं करवाया गया । समिति को प्राक्कलन में ठीक प्रकार से प्रावधान न करने बारे भी स्थिति स्पष्ट करें ।	

Settled

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

49	*4.1.8 (ii)*(ख): समिति जानना चाहती है कि बिलासपुर-*2* तथा सोलन (राष्ट्रीय राजमार्ग) मण्डलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-*21* व *22* के नवीनीकरण का कार्य प्री-मिक्स कारपेट तथा सील कोट करने के स्थान पर अर्द्ध संघन कारपेट पद्धति से किन कारणों से नहीं किया गया, जिससे विभाग का अतिरिक्त परिहार्य व्यय वहन न करना पड़ता । समिति इसके कारण सहित ब्यौरा चाहती है । समिति यह भी जानना चाहती है कि यह कार्य	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि नवीनीकरण कार्य के लिए प्राक्कलन का अनुमोदन मन्त्रालय द्वारा दिया जाता है उसके अनुसार निविदा मंगवा कर कार्य किया जाता है । भविष्य में मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा समस्त क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि मन्त्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार ही प्राक्कलन तैयार किए जावें ताकि माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों

	मंत्रालय के निर्देशानुसार क्यों नहीं करवाया गया।	की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

Settled

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

50	***4.1.8 (ii)*(ग):** समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत यह जानना चाहती है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार विभाग द्वारा प्री-मिक्स कारपेट हेतु *10* व *12* मिलीमीटर आकार के एग्रीग्रेट का प्रयोग किया गया है जो विभागीय अभिलेख में इंगित है। परन्तु विभाग उत्तर में कह रहा है कि वास्तव में *11.2* तथा *13.2* एम*0*एम*0* के बीच का एग्रीगेट लगाया गया है, समिति जानना चाहती है कि ऐसे क्या कारण थे कि यह दस्तावेज लेखा परीक्षा दल को ऑडिट के समय क्यों नहीं दिखाए गए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि ऑडिट के समय लेखा परीक्षा दल को उनकी मांग के अनुसार सम्बन्धित दस्तावेज मण्डलीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये जाते है, भविष्य में समस्त रिकार्ड लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत करने बारे विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

Settled

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

51	*4.1.8(iii)*: **तारकोल तथा ईंधन लकड़ी की अधिक खपतः** समिति विभागीय स्पष्टीकरण से सहमत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अधिक खपतों का कारण राजमार्गों के अधिकतम हिस्से का *2000* से *2500* मीटर की उंचाई पर होना तथा झाक़डी प्रोजैक्ट के लिए भारी मशीनरी ले जाने से स़डकों की सतह का अधिक टूटना बताया है जबकि *6* मण्डलों में रामपुर को छो़डकर अन्य पांच प्रदेश की कम उंचाई वाले मार्गों में स्थित है। इससे	इस सम्बन्ध मे विभाग ने सूचित किया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-*22* रामपुर मण्डल के स्पष्टीकरण को सहमति व्यक्त की है अन्य *6* मण्डलों मे भी कारण लगभग यथोपरि है क्योंकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-*21* पर सीमेंट फैक्टरी लगी है तथा रा0उ0मा0-*20* पर भी भारी मशीनरी सेना वालों की चलती है और इन दोनों स़डकों के कुछ भाग में भारी हिमपात एवम् वर्षा होती है जिसके कारण क्षति पहुंचती है। *10* किलो का तारकोल अनपेवड सरफेस पर इस्तेमाल होता है और *21* किलो पेवड सरफेस में इस्तेमाल होता है। भारी वाहन चलने के कारण हिमपात एवं वर्षा मे क्षति के कारण एवं बर्फ आदि हटाने के लिए डोजर द्वारा तारकोल की सतह पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ भाग में *10* किलो

	स्पष्ट होता है कि विभागीय उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है । यदि सडकें ज्यादा खराब थी तो सामग्री की अधिक खपत हेतु प्राक्कलन में प्रावधान करना चाहिए था। अतः समिति को अतिरिक्त परिहार्य व्यय का विस्तृत स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाते हुए यह भी बताया जाए कि अब 10 वर्गमीटर पर कितने किलोग्राम तारकोल की खपत हो रही है ।	का तारकोल इस्तेमाल किया जाना आवश्यक होता है ।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

52	***4.1.8 (iv):* उन्नत विनिर्देश अपनानाः** समिति जानना चाहती है कि	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि राष्टीय उच्च मार्ग-

	सरफेस ड्रेसिंग और प्री-मिक्स कारपेट दोनों प्रकार की नवीनीकरण प्रक्रियाओं को क्यों कार्यान्वित किया गया, जबकि दोनों सड़क नवीनीकरण की स्वतन्त्र प्रक्रियांए हैं जिसके फलस्वरूप *1.48* लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ । यदि विभाग द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाया जाता तो मु*0 1.48* लाख रूपए के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था। समिति जानना चाहती है कि मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप दोनों प्रक्रिया किन कारणों से अपनाई गई तथा इस हेतु कौन जिम्मेवार है वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।	*22* ठियोग क्षेत्र *2000* मी*0* से *2500* मी*0* की उंचाई से गुजरता है व अधिक बर्फ व वर्षा के कारण प्रायः डोजर सड़क पर चलाना पड़ता है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। इस मार्ग में वाहनों का भी अधिक आवगमन है जिसके कारण सड़क की हालत काफी खराब हो जाती है और सरफेस ड्रैसिंग बार-*2* करवानी पड़ती है । इसके अत्तिरिक्त यदि सरफेस ड्रैसिंग के बाद प्री-मिक्स कारपेट न बिछाई जावे तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी छिद्रों में रिसने के कारण सरफेस डैसिंग कार्य शीघ्र खराब हो जाता है। अतः सरफेस ड्रेरसिंग और प्री-मिक्स कारपेट, दोनों प्रकार की नवीनीकरण प्रक्रियाओं का अपनाया जाना इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में अपरिहार्य है तथा इस के लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि ये सम्पूर्ण भारत के लिए एक जैसे जारी किए जाते हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति भिन्न होने के कारण कई बार इन पर पूर्णतयः अमल सम्भव नहीं होता ।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

53	*4.1.8 (v)* (क)(ख): **सील कोट** राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल सोलन व रामपुर द्वारा प्री-मिक्स कारपेट पर सील कोट न विछाने तथा मिश्रित सील सर्फेसिंग पर सील कोट बिछाने के सम्बन्ध में मन्त्रालय के अनुदेशों की अवहेलना हुई है जिसके सम्बन्ध में समिति विभाग से स्पष्टीकरण चाहते हुए भविष्य हेतु यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि मन्त्रालय द्वारा जारी अनुदेशों को किसी भी प्रकार की अवहेलना न हो।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि सिफारिशों पर पूर्णतयः अनुपालना की जा रही है।

Settled अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

54	*4.1.9: (ii)* **नियमित अनुरक्षणः** समिति सिफारिश करती है कि सडकों के नियमित अनुरक्षण हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में उचित प्रयास किये जाएं। भारत सरकार द्वारा की गई कटौती के कारणों बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि राष्ट्रीय राजमार्गो के समय -2 पर अनुरक्षण हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में उचित प्रयास किये जा रहे हैं। समय रहते ही प्राक्कलन स्वीकृति के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं तथा बजट का प्रावधान भारत सरकार द्वारा धन की उपलब्धता तथा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जाता है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

55	*4.1.9 (iii)* **विर्निदेशों का पालन न करनाः** समिति सिफारिश करती है कि	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि अब कार्यों में

	भविष्य में तारकोल मिश्रण का प्रयोग किया जाए तथा इसके प्रयोग एंव प्रभाव बारे सूचित किया जाए।	तारकोल मिश्रण का ही प्रयोग किया जा रहा है जो सकारात्मक व प्रभावशाली है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

56	***4.1.9 (iii)* रोडी को एकत्र न करनाः** समिति जानना चाहती है कि एक तरफ तो विभाग रोडी इकट्ठे न करने को उचित मान रहा है और दूसरी ओर दोषी मण्डल अधिकारी की जिम्मेवारी निर्धारित करने हेतु जबाव तलवी कर रहा है। अतः समिति सिफारिश करती है कि इस	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि वास्तव में पैरे में लेखा परीक्षा द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि रोडी को इकट्ठा करके नहीं रखा गया बल्कि यह विभिन्न स्थलों पर गड्ढों में फैंकी गई । यद्यपि इन स्थलों का पता लगाने में अत्याधिक कठिनाई बनी रही । वास्तव में रोडी को विभिन्न स्थलों पर गड्ढों में नहीं फैंका जाता बल्कि सडक के किनारे ढेर लगा कर रखा जाता है, परन्तु नई सडक होने के कारण वर्षा के कारण ढेरों पर मिट्टी पडने से स्थलों

	विरोधाभास बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये दोषी मण्डलाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई अविलम्ब पूर्ण करके कृत कार्रवाई से अवगत करवाया जाए।	का पता चलने में कठिनाई हुई।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

57	***4.1.10 (ii)* अन्य रूचिकर प्रसंगः** समिति जानना चाहती है कि मंत्रालय की अनुमति प्राप्त किये बिना केवल बिछाने का कार्य किन परिस्थितियों में शुरू किया गया स्थिति स्पष्ट करते हुये सूचित करें कि	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि ओपटीकल फाईबर केवल बिछाने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग की खुदाई करवाने के लिए भूतल एंव परिवहन मन्त्रालय से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। इस सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक एंव महालेखाकार की टिप्पणी में भी स्पष्ट है।

	मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो गई है ?	

अग्रेतर समीक्षा

समिति यह जानना चाहती है कि दूरसंचार विभाग द्वारा खाईयां खोदने के एवज़ में क्या-क्या क्षतिपूर्ति की जाती है। स्थिति स्पष्ट की जाए।

58	***4.1.10 (ii)* गडढों को भरने हेतु गलत भुगतानः** समिति समझती है कि लेखा आपत्ति अनुरूप मंत्रालय के विनिर्देशों के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा भरी गई दरें अन्य बातों के साथ-*2* गड्ढों को भरने हेतु पूर्ण मुआवजे के सहित थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को की गई अदायगी विनिर्देशों के विरूध्द थी ।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि कार्य भूतल परिवहन मन्त्रालय की स्पैसीफीकेशन के अनुसार ही करवाया गया है। कार्य से सम्बन्धित इकरारनामें गढ्ढे भरने व उब़ड-खाब़ड स़डक को सीधा करने का प्रावधान न करने के कारण इसे अलग से करवाना प़डा जो अपरिहार्य था। इस सम्बन्ध में शिमला मण्डल न*0-2* से प्राप्त इकरारनामें की प्रति संलग्न की जाती है। अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति सम्बन्धित मण्डलाधिकारी से अपेक्षित है जिस बारे उक्त कार्यालय से प्राप्त होने पर शीघ्र प्रस्तुत की जावेगी।

	अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन तथा विभाग द्वारा ठेकेदार से किए गए इकरारनामें की प्रतियां समिति को प्रस्तुत की जाए ताकि वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सके।	

अग्रेतर समीक्षा

समिति पुनः सिफारिश करती है कि मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन तथा विभाग द्वारा ठेकेदारो से किए गए इकारारनामें की प्रतियां समिति को प्रस्तुत की जाए ताकि समिति अपना अभिमत दे सके।

59	***4.1.10 (iii)* वृद्धि प्रभारों का अनियमित भुगतानः** लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित पैरे अनुरूप अधिशासी	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि विभाग द्वारा जैसा कि पहले ही कहा गया है वृद्धि प्रभार में केवल मजदूरों की मजदूरी को ही रखा गया है

	अभियंता ने स्वीकारा था कि ठेकेदार को देय वृद्धि प्रभारों का हिसाब करते हुये मशीनों द्वारा किए गए कार्यों को नहीं निकाला गया तथा मशीनों एंव मजदूरों द्वारा किए गए कार्य से विवरण को पृथक रूप से निकालना सम्भव नहीं था लेकिन अब विभाग ने उत्तर में बतलाया है कि ठेकेदार को रू0 32.77 लाख के लिए वृद्धि प्रभार में केवल मजदूरों की मजदूरी को ही रखा गया है तथा मशीनरी द्वारा किया गया कार्य इसमें शामिल नहीं किया गया है । समिति विरोधाभास स्थिति	तथा मशीनरी द्वारा किया गया कार्य इसमें शामिल नहीं किया गया है तथ्यों पर अधारित है। अधिशासी अभियंता द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान दोनों घटकों को अलग से प्रस्तुत न करने के लिए हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया जाता है । विभाग द्वारा इकरारनामें की शर्तों अनुसार *10* प्रतिशत से अधिक मजदूरी की ब़ढोत्तरी ठेकेदार को अदा की है। अतः किसी प्रकार की अनियमितता इस मामले में नहीं की गई है ।

	दर्शाने बारे जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये मामले में पुनः छानबीन करके वस्तुस्थिति से अवगत होने की सिफारिश करती है।	

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

60	***4.1.10 (iv)* ठेकेदार को संचालन अग्रिम की स्वीकृतिः** समिति जानना चाहती है कि ठेकेदार की कार्य क्षमता को जांचे बगैर तीनों पुलों का निर्माण कार्य ठेकेदार को किस आधार पर आवंटित किया गया तथा लाखों रूपये	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि संचालन अग्रिम राशि इकरारनामें की शर्तों के अनुसार मशीनरी व औजारों को कार्य स्थल तक लाने के लिए दिया जाता है तथा अग्रिम राशि प्रदान करने पर ही ठेकेदार की मशीनरी कार्यस्थल पर लाई जाती है। उक्त कम्पनी एक रैपयुटिड कम्पनी है तथा विभाग में अब भी कार्य कर रही है। कम्पनी को नियमानुसार मुआवजा भी लगाया गया था तथा ऑरबीट्रेटर का निर्णय

	मशीनरी के कार्य स्थल पर लाए बगैर दे दिए गए। हितों की अनदेखी करके ऐसा करार विभाग ने ठेकेदार से किन कारणों से किया। समिति अनुशंसा करती है कि इस बारे जिम्मेवार कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।	भी विभाग के पक्ष में रहा है। परन्तु कम्पनी द्वारा न्यायालय में केस दायर किया गया है जिसका निर्णय अपेक्षित है। माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात् ही आगामी कार्रवाई सम्भव होगी। इन परिस्थितियों में किसी कर्मचारी/अधिकारी को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इन तीनों कार्यों को समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद न्यूनतम दर पर आबंटित किए गए थे। अब इन कार्यों को पुनः अवार्ड करके पूर्ण किया जा चुका है तथा वाहनों के लिए खोल दिया गया है।

अग्रेतर समीक्षा

समिति न्यायालय के निर्णय से अवगत होना चाहेगी।

61	*4.1.10 (vi)* **तारकोल का दुर्विनियोजनः** पुलिस को मामला देने हेतु	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि यह मामला *700* ड्रम

	ड़ेढ वर्ष का विलम्ब किन कारणों एंव किस स्तर पर हुआ के बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए मामले में हुई प्रगति से समिति को अवगत करवाया जाए ।	तारकोल ढुलाई का कार्य मैसर्ज सिसोद्विया कागों मुवरज को रामपुर मण्डल से सम्बन्धित है उसमें से सिर्फ *60* ड्रम ही प्राप्त हुआ था। विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता कम्पनी मै*0* कैरेज कनट्रेक्टर से आपूर्ति हेतु पत्राचार किया गया तथा आपूर्ति सम्भव न हो सकी तब *12/94* में रामपुर थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक *10.11.1995* द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त फर्म *1990* में बन्द हो गई है तथा आगे जांच सम्भव नहीं है तथा पुलिस द्वारा मामला बन्द कर दिया । अब उक्त तारकोल की आपूर्ति सम्भव नहीं है तथा इसे बट्टे खाते में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसके लिए सर्वे रिपोर्ट संलग्न है । अतः माननीय समिति से निवेदन है कि ₹ *4.68* लाख की राशि को बट्टे खातें में डालने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

अग्रेतर समीक्षा

समिति सिफारिश करती है कि यदि सम्बन्धित कम्पनी से ₹4.68 लाख की वसूली करना असम्भव है तो उक्त राशि को बट्टे खाते में डालने हेतु विषय वित विभाग के माध्यम से विस्तृत कारणों सहित समिति के संवीक्षार्थ निर्धारित प्रपत्र पर भेजा जाए, उसके उपरान्त ही समिति अपना अभिमत देगी।

62	*4.1.10 (vii)* (क): **कार्यों को मिला देना:** समिति जानना चाहती है कि मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पुलों के ठेके न देने का अनुमोदन क्या मंत्रालय से करवाया था।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि पुलों के ठेके न देने का अनुमोदन मंत्रालय से नहीं करवाया गया था। उक्त दोनों पुलों की निविदा एक साथ मंगवाने के कारण अनुमोदित निविदा शर्तों के अन्तर्गत कार्य एक ही ठेकेदार को दिया गया है ताकि दोनों पुलों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके जिसकी स्वीकृति तत्कालीन मुख्य अभियन्ता कांग़डा के पत्र दिनांक़ *28.03.1992* द्वारा प्रदान की गई है। विभाग का यह कार्य जनहित में किया गया है। उक्त कार्य को पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जा चुका है जिसका जनता को वांछित लाभ प्राप्त हो रहा है। यद्यपि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति रोकने के लिए समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

63	***4.1.10 (vii) (ख):*** समिति जानना चाहती है कि ₹ *3.10* लाख का जो परिहार्य व्यय हुआ, यदि विभाग दोनों पुलों के ठेके अलग-*2* ठेकेदारों को देता तो परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था परन्तु विभाग द्वारा ऐसा न करने के कारणों बारे अवगत करवाया जाए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि उपरोक्त दोनों कार्यों को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् एक ही ठेकेदार को दिए गए थे जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला द्वारा जारी अनुमोदन जो पत्र दिनांक *15-2-1991* द्वारा प्रदान की गई है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

64	***4.1.10 (viii) (क)* संचालन अग्रिमः** समिति जानना चाहती है	इस सम्बन्ध मे विभाग ने सूचित किया कि लेखा परीक्षा द्वारा पैरे में

	कि मानक प्रपत्र में विहित शर्तों को पूर्ण किए बगैर एंव सरकार के हितों की रक्षा किए बिना ठेकेदारों को ब्याजमुक्त संचालन अग्रिम किन कारणों से दिया गया बारे वास्तविक कारण सूचित करते हुए विवाचक द्वारा दिए गए निर्णय से अवगत करवाया जाये।	स्पष्ट किया गया है कि इकरारनामें की क्लोज-56 के अन्तर्गत ठेकेदारों को ब्याजमुक्त संचालन अग्रिम राशि देने का प्रावधान है। उक्त अग्रिम राशि मशीनों और औजारों की खरीद व कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए ठेकेदार को दिया जाता है जो मानक प्रपत्र में विहित शर्तों को पूर्ण करने बारे सम्बन्धित कार्य अभियन्ता द्वारा समय-2 सत्यापन किया जाता है। ठियोग मण्डल से सम्बन्धित मामले में विवाचक द्वारा अपना निर्णय दिया जा चुका है जिसके विरूध्द ठेकेदार द्वारा मामला न्यायलय में दायर किया गया है। इस बारे विस्तृत विवरण पैरा सं0. 4.1.7 (v) (ड.) में दिया गया है।

अग्रेतर समीक्षा

(i) **समिति ठियोग मण्डल से सम्बन्धित मामले में न्यायालय के निर्णय से अवगत होना चाहेगी।**

(ii) **समिति जानना चाहती है कि क्या दो अन्य मण्डल रामपुर (राष्ट्रीय मार्ग) व सुन्दरनगर के मामलों में निर्धारित शर्ते पूर्ण की गई है? विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।**

65	*4.1.10 (viii) (ख):* समिति को 6 कार्यों में सरकार का अनुमोदन न लेने बारे स्पष्टीकरण देते हुए ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम की बकाया राशि की वसूली की नवीनतम स्थिति से अवगत करवाया जाए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि विभाग ने छः कार्यों में संचालन अग्रिम राशि के भुगतान हेतु निविदा के शर्तों के अनुसार सक्षम अधिकारी मुख्य/प्रमुख अभियन्ता, नैगोशियेशन के दौरान मानी गई है। सुन्दरनगर मण्डल द्वारा ₹*2.00* लाख संचालन अग्रिम राशि जो ठेकेदारो को दी गई थी की वसूली कर दी है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग रामपुर मण्डल बारे स्थिति पैरा *4.1.10 (iv)* में दर्शाई गई है।

अग्रेतर समीक्षा

समिति यह जानना चाहती है कि बिलासपूर व कुल्लू मण्डल के अन्तर्गत किन-किन ठेकेदारों को कितनी -कितनी ब्याज मुक्त सन्चालन अग्रिम राशि दी गई। क्या उनसे उक्त राशि वसूली योग्य नहीं थी? पूर्व विवरण दस्तावेज़ सहित समिति को प्रस्तुत किया जाए।

66	*4.1.10 (ix)* **बिलों को अन्तिम रूप देना:** समिति को बिलों को	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि एन0एच0-21 के उक्त

	अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारणों सहित, बिलों की वर्तमान स्थिति सूचित की जाए।	कार्य पण्डोह मण्डल से सम्बन्धित है जो पहले बिलासपुर-2/कुल्लू-2 द्वारा करवाए गए थे। उक्त बिलों को अन्तिम रूप इसलिए नहीं दिया जा सका है, क्योंकि ठेकेदारों से वसूल की जाने वाली राशि बिलों में देय राशि से कहीं अधिक हैं। इस बारे नवीनतम स्थिति निम्न है:- 1- स्ट्रेन्थनींग आफ रोड करस्ट आन एन0एच0-21:- इस कार्य में ठेकेदार का अन्तिम बिल ₹ 296004/- का है बिल में ठेकेदार से ₹ 308155/- की वसूली होनी शेष है जैसे ही वसूली को अन्तिम रूप दिया जाएगा। बिल को पास कर दिया जाएगा। 2- स्ट्रेन्थनींग आफ रोड करस्ट आन-एन0एच0-21:- इस कार्य में ठेकेदार का अन्तिम बिल ₹ 34675/- है इस बिल में ठेकेदार से ₹ 341049/- वसूली होनी है जैसे ही वसूली होगी बिल पास कर दिया जाएगा। 3- स्ट्रेन्थनींग आफ रोड एन0एच0-21:-इस कार्य में ठेकेदार का अन्तिम बिल ₹ 569686/- का पास कर दिया है परन्तु मामला विवाचक सोलन में विचाराधीन है।

		शेष तीन कार्यों में बिलों को अन्तिम रूप देने बारे स्थिति सम्बन्धित मण्डल से अपेक्षित है, जिसे शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

अग्रेतर समीक्षा

समिति खेद प्रकट करती है कि इतने समय बीत जाने के उपरान्त भी विभाग बिलों को अन्तिम रूप नहीं दे सका। अतः समिति पूनः सिफारिश करती है कि बिलों को अन्तिम रूप देकर बिलों की वर्तमान स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

67	***4.1.10 (ix)*(ख): ऋणात्मक बिलः** समिति विभागीय उत्तर तथा साक्ष्य के दृष्टिगत सिफारिश करती है कि विभाग इन सभी कार्यों के बिलों को शीघ्र अन्तिम रूप देकर, ठेकेदारों से वसूली सुनिश्चित करवाएं और वस्तुस्थिति से	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि रामपुर मण्डल के अर्न्तगत चार ठेकेदारो का कार्य पूर्ण न करने के कारण ऋणात्मक बिल को अन्तिम रूप दिया गया तथा वसूली हेतु मामला माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। बैजनाथ, कुल्लू मण्डल-*2*, शिमला मण्डल नं*0-1* तथा ठियोग मण्डल को माननीय समिति की सिफारिशानुसार कार्रवाई करने हेतु

	अवगत करवाएं।	निर्देश जारी किए गए हैं।

अग्रेतर समीक्षा

समिति को उच्च न्यायालय के निर्णय तथा अन्य ठेकेदारों से शेष वसूली करके समिति को अवगत करवाया जाए।

68	***4.1.11* गुणवता सुनिश्चित करना :** समिति उन कारणों से अवगत होना चाहती है जिससे विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित गुणवता निरीक्षण नहीं करवाए गए या गुणवता नियंत्रण जांच दर्शाने वाले अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं बताए गए। समिति अनुशंसा करती कि जिन	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों अनुसार सम्बन्धित लोक निर्माण मण्डलों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा शीघ्र ही माननीय समिति को नवीनतम स्थिति से अवगत करवाया जायेगा।

	मामलों में सम्बन्धित अभिलेख/लेखापरीक्षा को दिखाने बारे जिक्र किया है उनकी पुष्टि शीघ्र लेखापरीक्षा कार्यालय से करवाकर समिति को अवगत करवाएं।	

अग्रेतर समीक्षा

समिति जानना चाहती है कि गुणवता निरीक्षण अभिलेखों की पुष्टि लेखा परीक्षा कार्यालय से करवाकर समिति को अवगत करवाया जाए।

राजस्व प्राप्तियां

69	*1.5 (13)* **बकाया राजस्वः** समिति सर्वप्रथम यह जानना चाहती है कि विभाग ने उक्त पैरे का उत्तर किन कारणों से नहीं दिया और इस कृत्य हेतू कौन जिम्मेवार है, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर वस्तुस्थिति से समिति को अवगत करवाएं। संग्रहण हेतु बकाया राजस्व ₹ *16.27* लाख रुपए जो *31.3.1995* तक लम्बित थी, की वसूली की	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि राजस्व प्राप्ति से सम्बन्धित यह पैरा राज्य के समस्त विभागों से सम्बन्धित होने के कारण इसका उत्तर वित्त विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय समिति को हुई असुविधा के लिए खेद है। नवीनतम स्थिति अनुसार में संग्रहण हेतु बकाया राजस्व बारे माननीय समिति को सूचित किया जाता है कि प्रतिवेदन में दर्शाई गई राशि ₹ *16.27* लाख में से ₹ *13.11* लाख की वसूली की जा चुकी है और बाकि शेष ₹ ***3.38*** लाख की वसूली हेतु कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस राशि में से अधिकत्तर वसूलियां सेवा निवृत एंव ऐसे कर्मचारी जिनका देहान्त हो चुका है। पैरे में सम्मिलित राशि की नवीनतम स्थिति भारत के नियन्त्रक एंव महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष *2008-09* में

	अद्यतन स्थिति बारे अवगत करवाएं।	पैरो-*1.5* में दर्शाई जा चुकी है जिसमें विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

Settled

अग्रेत्तर समीक्षा

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

70	*1.10 (5)* **बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखा परीक्षा अभ्युक्तियां:** समिति अनुशंसा करती है कि बकाया *28* प्रतिवेदनों व *56* पैरों का शीघ्र समायोजन करने हेतु उठाए गए प्रभावी पगों का ब्यौरा देते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।	इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि नवीनतम स्थिति *(31-03-2012)* अनुसार अब केवल *21* पैरे व *23* निरीक्षण प्रतिवेदन समायोजन हेतु लम्बित हैं। इनमें से अधिकत्तर पैरों में सेवा निवृत कर्मचारियों तथा ऐसे कर्मचारियों जिनका देहान्त हो चुका है से वसूली की जानी वांछित है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन मामलों में वसूली सम्भव नहीं है को बट्टे खाते में डालने हेतु कार्रवाई अमल में लाई जाये। यहां यह भी प्रस्तुत है कि नवीनतम स्थिति भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक के नवीनतम प्रतिवेदन वर्ष *2008-09* में पैरा सं*0 1.9* में दर्शाई जा चुकी है जिसमें

		विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

71	**7.5 लेखा परीक्षा परिणामः** *(1)* समिति को तीसा खड्ड तथा सुन खड्ड पुल के सम्पर्क सड़कों के निर्माण की प्रगति की नवीनतम स्थिति से अवगत करवाया जाए।	**(1) तीसा खड्ड तथा सुन खड्ड पर पुल** इस पैरे के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त सडकों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । यहां यह भी सूचित किया जाता है उप-महालेखाकार शिमला के पत्र संख्याः पार्वती- *1*/भवन व मार्ग मण्डी-*2/ 1992-93/1809-10*, दिनांक *21.12.94* द्वारा पैरे का समायोजन किया जा चुका है ।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

	(2) समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत राष्ट्रीय मार्ग-*21* पर वैली **सुजान नाला** पर	*(2)* इस सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया कि विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण करने में लगे समय के कारण *10/91* से *4/92* (*7* महीने) की अवधि में टोल टैक्स नहीं प्राप्त किया जा सका था। यद्यपि मुख्य अभियन्ता मण्डी

	निर्मित पुल 10/91 में यातायात हेतु खोल दिया गया था। सरकार के पत्र दिनांक 19.2.1992 के अनुसार टौल टैक्स इस पुल पर लगाना अपेक्षित नहीं था, समिति को मान्य नहीं है क्योंकि छूट 1.5.1992 से दी गई थी। अतः 10/91 से 4/92 (7 महीने) की अवधि का टौल टैक्स लिया जाना अपेक्षित था जिसे विभाग ने नहीं उगाहा। समिति समझती है कि विभाग की लापरवाही के कारण सरकार को हानि उठानी पड़ी। समिति जानना चाहती है कि क्या विभाग ने दोषी	को माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिश अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। जैसे कि पहले भी माननीय समिति को अवगत करवाया गया है इसी दौरान भारत सरकार के आदेश संख्याः- स0एन0नम्बर-आर0डब्ल्यु0/एन0एच0-11013/11-86-पी0एच0, दिनांक 19.2.92 के अनुसार इस पुल पर कोई भी टौल टैक्स लगाना आपेक्षित नहीं था।

	कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई अमल में लाई है।	

अग्रेतर समीक्षा

समिति पुनः सिफारिश करती है कि 10/91 से 4/92 *(7* महीने*)* की अवधि का टोल टैक्स प्राप्त करने में बरती गई लापरवाही के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए और की गई कार्रवाई की प्रगति से समिति अवगत होना चाहेगी।

	(3) हरीपुरधार लोक निर्माण मण्डल के अन्तर्गत *1450/-* रुपये के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करवाकर वस्तुस्थिति से समिति को अवगत करवाएं।	**(3) हरीपुरधार** यह पैरा हरीपुरधार (अब संगड़ाह) से सम्बन्धित है। इस पैरे में श्री*0*वी*0*एस*0*कौशल से पूर्ण वसूली कर ली गई है। यह राशि सहायक अभियन्ता, रैणुका उपमण्डल की रसीद संख्या *-270607,* दिनांक *22.6.2001* द्वारा की गई है।

अग्रेत्तर समीक्षा

Settled

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

72	**7.6 विज्ञापन प्रभारों की वसूली होनाः** समिति जानना चाहती है कि जब लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ड्राफ्ट पैरा के साथ विभिन्न पार्टियों का ब्यौरा सरकार को प्रेषित किया था, तो विभाग ने पार्टी अनुसार स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं की है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग पार्टी के अनुसार स्थिति स्पष्ट करें तथा समिति को यह भी बतलाया जाए की जिन पार्टिज द्वारा अभी तक भी भुगतान नहीं किया है, उनके विरुध्द क्या कार्रवाई की गई है। समिति उन मामलों की संख्या से भी अवगत होना चाहती हैं कि कितने मामलों में अदायगी न होने की वजह से विज्ञापन /बोर्डों को हटाया गया है।	यह मूल पैरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग उप-मण्डल-2 जोगिन्द्रनगर में विभिन्न पार्टियों के विरुध्द विज्ञापन प्रभारों की वसूली न होने का है और कुल ₹ 12,426/- में से अब तक ₹ 2,656/- की वसूली सम्भव हो सकी है। जिन फर्मो/पार्टियों ने यह वसूली नहीं दी उनके लगाए गए विज्ञापन /बोर्डों को उखाड /हटा दिया गया है।

अग्रेतर समीक्षा

समिति संस्तुती करती है कि जिन फर्मों/ पार्टियों से विज्ञापन प्रभारों की वसूली नहीं हुई है उनसे वसूली करने के प्रयास किए जाएं तथा वसूली की प्रगति से समिति को अवगत करवाया जाए।